UPBN010001342012

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बदायूॅं।

उपस्थितः मनोज कुमार–तृतीय, एच०जे०एस०

१–सत्र परीक्षण संख्या ७७६ सन् २०१२

राज्य बनाम १–सुनील कुमार पुत्र रूपचन्द शर्मा,
२–हरपन उर्फ हरस्वरूप पुत्र रूपचन्द,
३–योगेश चन्द शर्मा पुत्र बाबूराम,
निवासीगण ग्राम नगरिया हरदास, थाना अलापुर, जिला बदायूं।
४–नेकसू उर्फ अनिल कुमार पुत्र रतनपाल,
निवासी ग्राम ग्योति धर्मपुर, थाना अलापुर, जिला बदायूं।

मुकदमा अपराध संख्या–२९३/२०१२
अंतर्गत धारा–१४७, १४८, ३०२ सपठित
धारा १४९, ३२३ सपठित धारा १४९,
५०४,४२९सपठित धारा १४९भा०दं०सं०
थाना–अलापुर, जिला बदायूं।
एवं

UPBN010001002012

२–सत्र परीक्षण संख्या ७७७ सन् २०१२

राज्य बनाम सुनील कुमार पुत्र रूपचन्द शर्मा,
निवासी ग्राम नगरिया हरदास, थाना अलापुर, जिला बदायूं।

मुकदमा अपराध संख्या–२९५/२०१२
अंतर्गत धारा–३/२५ आयुध अधिनियम
थाना–अलापुर, जिला बदायूं।

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2025.01.21 12:47:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

एवं

UPBN010038562012

३–सत्र परीक्षण संख्या ९२५ सन् २०१२

राज्य बनाम योगेश चन्द पुत्र बाबूराम,

निवासी ग्राम नगरिया हरदास, थाना अलापुर,

जिला बदायूं।

मुकदमा अपराध संख्या–३१९/२०१२

अंतर्गत धारा–३/२५ आयुध अधिनियम

थाना–अलापुर, जिला बदायूं।

निर्णय

१– अभियुक्तगण **सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द शर्मा, नेकसू उर्फ अनिल कुमार व रूपचन्द (दौरान विचारण मृत्यु)** को थाना अलापुर जिला बदायूं द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर सत्र परीक्षण हेतु भा०दं०सं० की धारा १४७, १४८, १४९, ३०२, ३२३, ५०४, ४२९ भा०दं०सं० के अंतर्गत तथा अभियुक्त **सुनील कुमार** को थाना अलापुर, जिला बदायूं द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर सत्र परीक्षण हेतु आयुध अधिनियम की धारा ३/२५ के अंतर्गत तथा अभियुक्त **योगेश चन्द** को थाना अलापुर, जिला बदायूं द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर सत्र परीक्षण हेतु आयुध अधिनियम की धारा ३/२५ के अंतर्गत तथा अभियुक्त **रूपचन्द (दौरान विचारण मृत्यु)** को थाना अलापुर, जिला बदायूं द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर सत्र परीक्षण हेतु आयुध अधिनियम की धारा ३/२५ के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बदायूँ के आदेश दिनांकित १७–०९–२०१२ के जरिए सत्र सुपुर्द किया गया।

२– प्रस्तुत प्रकरण में दौरान विचारण सहअभियुक्त रूपचन्द की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्व **मुकदमा अपराध संख्या–२९३/२०१२,** अंतर्गत धारा–१४७, १४८, ३०२ सपठित धारा १४९, ३२३ सपठित धारा १४९, ५०४, ४२९ सपठित धारा १४९ भा०दं०सं० के वाद की कार्यवाही एवं **मुकदमा अपराध संख्या–२९४/२०१२,** अंतर्गत धारा–२७/३० आयुध अधिनियम के वाद की कार्यवाही न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या १२, बदायूं के आदेश

दिनांकित २२–०७–२०१९ द्वारा उपशमित की गयी। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में मात्र अभियुक्तगण सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द शर्मा, नेकसू उर्फ अनिल कुमार का ही विचारण किया जाना है।

३– बाद सत्र सुपुर्दगी अभियुक्तगण **सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द शर्मा, नेकसू उर्फ अनिल कुमार** के विरूद्व अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, बदायूँ के आदेश दिनांक २६–०२–२०१३ के जरिए भा०दं०सं० की धारा १४७, १४८, ३०२ सपठित धारा १४९, ३२३ सपठित धारा १४९, ५०४ व ४२९ सपठित धारा १४९ के आरोप से तथा अभियुक्त **सुनील कुमार** के विरूद्व आयुध अधिनियम की धारा ३/२५ के आरोप से तथा अभियुक्त **योगेश चन्द** के विरूद्व आयुध अधिनियम की धारा ३/२५ के आरोप से भी पृथक–पृथक आरोपित किया गया। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया और परीक्षण की मांग की।

४– **न्यायालय विशेष न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूं के आदेश दिनांकित १०–०७–२०१३ द्वारा अभियोजन के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त सभी वाद समेकित किये गये और सत्र परीक्षण संख्या ७७६/२०१२ लीडिंग सत्र परीक्षण करार दिया गया और सभी साक्ष्य इसी में लिया गया है।**

५– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मोरपाल पुत्र ओमकार, निवासी नगरिया हरदास, थाना अलापुर, जिला बदायूं ने दिनांक १०–०५–२०१२ को थाना अलापुर, बदायूं पर तहरीर **प्रदर्श क–१** इस आशय की प्रस्तुत किया कि आज दिनांक १०.०५.२०१२ समय दोपहर दो बजे मेरा छोटा भाई कमलेश अभियुक्त रूपचन्द्र शर्मा पुत्र बाबूराम नगरिया हरदास थाना अलापुर के मन्दिर के पास आम के पेड़ से आम तोड़ लिए इस पर मेरे भाई कमलेश की पिटाई की और उराहना देने के लिए मेरे घर पर आये और गन्दी गन्दी गालियां देने लगे और चुन्नीलाल पुत्र गंगाराम से कहने लगे अपने नाती को समझा लो नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे हम लोगों ने गाली देने से इन्कार किया तभी मुल्जिमान १–रूपचन्द्र पुत्र वावूराम, २–सुनील कुमार, ३–हरपन उर्फ पुत्र रूपचन्द्र, ४–योगेश चन्द्र पुत्र वावूराम निवासीगण नगरिया हरदास थाना अलापुर जिला बदायूं, ५–नेकसू पुत्र रतनपाल निवासी ग्योती धर्मपुर थाना अलापुर जिला बदायूं जिसमें रूपचन्द्र उपरोक्त अपनी लाईसेन्सी बन्दूक व अन्य अभियुक्त नाजायज हथियार लेकर हम लोगों पर जान से मारने के इरादे से समय करीब छह बजे

शाम फायरिंग शुरू कर दी जिसमें ओमकार पुत्र चुन्नीलाल व राजवीर पुत्र ओमकार निवासीगण नगरिया हरदास के गोली लगी और गम्भीर रूप से घायल हो गये तथा वहीं पर बांधे बैल चेतराम पुत्र केवल के बैल के गोली लगी। बैल गम्भीर रूप से घायल हो गया गम्भीर रूप से ओमकार व राजवीर को मैं अन्य लोगों के साथ इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जा रहे थे तो रास्ते में ओमकार व राजवीर ने दम तोड़ दिया यह घटना गांव के १–चुन्नीलाल पुत्र गंगाराम, २–वीरपाल पुत्र ओमकार, ३–सुखपाल पुत्र सियाराम, ४–नेत्रपाल पुत्र छोटेलाल ने देखी है। ओमकार व राजवीर की लाशें जिला अस्पताल में रखी हैं। रिपोर्ट को आया हूं। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही की जावे।

६– उपरोक्त तहरीर रिपोर्ट के आधार पर थाना अलापुर पर अभियुक्तगण रूपचन्द्र, सुनील कुमार, हरपन, योगेश चन्द्र व नेकसू के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–२०** दिनांक १०–०५–२०१२ को समय २०.१०बजे मुकदमा अपराध संख्या २९३/२०१२, अंतर्गत धारा १४७, १४८, १४९, ३२३, ३०२, ५०४, ४२९ भा०दं०सं० के अंतर्गत पंजीकृत की गयी और जिसका इन्द्राज नकल रपट सं० ४१ समय २०.१० बजे दिनांकित १०–०५–२०१२ पर किया गया जिसकी प्रति **प्रदर्श क–२१** है।

७– दिनांक ११–०५–२०१२ को उपनिरीक्षक राजेश कुमार यादव, थाना अलापुर, जनपद बदायूं द्वारा जिला अस्पताल बदायूं मोरचरी में रखे मृतक राजवीर सिंह के शव का पंचायतनामा **प्रदर्श क–४** तथा एसएसआई एम०एम० खान, थाना कोतवाली बदायूं द्वारा जिला अस्पताल बदायूं मोरचरी में रखे मृतक ओमकार के शव का पंचायतनामा **प्रदर्श क–९** भरा गया। मृतक राजवीर सिंह के पंचायतनामा से संबंधित आवश्यक कागजात फोटो लाश **प्रदर्श क–५,** नमूना मोहर **प्रदर्श क–६,** चालान नाश **प्रदर्श क–७,** चिट्ठी सी०एम०ओ० **प्रदर्श क–८** है तथा मृतक ओमकार के पंचायतनामा से संबंधित आवश्यक कागजात फोटो लाश **प्रदर्श क–१०,** नमूना मोहर **प्रदर्श क–११,** चालान नाश **प्रदर्श क–१२,** चिट्ठी सी०एम०ओ० **प्रदर्श क–१३** है। उक्त मृतकों के पोस्टमार्टम कार्यवाही के उपरान्त शव को शव विच्छेदन हेतु प्रेषित किया गया। मृतक राजवीर सिंह की शव विच्छेदन आख्या **प्रदर्श क–२** है व मृतक ओमकार की शव विच्छेदन आख्या **प्रदर्श क–३** है।

८– अभियोग की विवेचना की गयी। विवेचनाधिकारी द्वारा दौरान विवेचना वादी व अन्य गवाहान के बयान १६१ दं०प्र०सं० अंकित किये गये तथा वादी की निशानदेही पर नक्शा नजरी घटनास्थल **प्रदर्श क–२७** तैयार किया तथा घटनास्थल से

मिट्टी सादा व खून आलूदा मृतक राजवीर सिंह व ओमकार को कब्जा पुलिस में लेकर उसकी फर्द क्रमशः **प्रदर्श क–२३**, **प्रदर्श क–२४** तैयार की गयी तथा घटनास्थल पर अभियुक्तगण रूपचन्द आदि के मकान की छत से छह खोखा कारतूस १२बोर कब्जा पुलिस में लेकर उसकी फर्द **प्रदर्श क–२२** तैयार की गयी।

९– विवेचना के दौरान दिनांक ११–०५–२०१२ को समय लगभग १०.१५बजे स्थान उसैत तिराहा कस्बा म्याऊं अंतर्गत थाना क्षेत्र अलापुर से अभियुक्तगण रूपचन्द शर्मा व सुनील कुमार को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त रूपचन्द शर्मा के कब्जे से एक बन्दूक लाईसेन्सी १२बोर व पांच कारतूस १२बोर एवं अभियुक्त सुनील कुमार के कब्जे से एक तमंचा देशी १२बोर व दो जीवित कारतूस, एक खोखा कारतूस १२बोर बरामद हुए तथा पूछताछ में इन्हीं असलाहों से उक्त घटना में गोलियां चलाना बताया गया। जिसकी फर्द मौके पर ही विवेचक द्वारा तैयार करायी गयी व माल पृथक पृथक सील सर्वेमोहर किया गया, फर्द की नकल अभियुक्तगण को दी गयी एवं फर्द के आधार पर विवेचक द्वारा अभियुक्तगण रूपचन्द्र शर्मा एवं सुनील कुमार के विरूद्व थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–३४** दिनांक ११–०५–२०१२ को समय २३.५० बजे अपराध संख्या २९४/१२, धारा २७/३० आयुध अधिनियम बनाम रूपचन्द शर्मा, अपराध संख्या २९५/१२, धारा ३/२५/२७ आयुध अधिनियम बनाम सुनील कुमार पंजीकृत करायी। जिसका खुलासा नकल रपट नम्बर–३५ समय २३.५० बजे रोजनामचा आम दिनांक ११–०५–१२ थाना अलापुर में किया गया। जिसकी प्रति **प्रदर्श क–३५** है। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा अवर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बदायूं के आदेश दिनांकित ३१–०५–२०१२ से गिरफ्तारशुदा अभियुक्त योगेश चन्द्र की पुलिस कस्टडी रिमांड प्राप्त किया गया एवं अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस द्वारा दिनांक ०१–०६–२०१२ को समय लगभग ०८.०५ ए०एम० बजे स्थान जंगल ग्राम नगरिया हरदास मन्दिर व ट्यूबैल के पास अंतर्गत थाना क्षेत्र अलापुर से अभियुक्त योगेश चन्द्र के कब्जे से एक तमंचा देशी १२ व नाल में फंसा एक खोखा कारतूस १२बोर बरामद हुआ तथा पूछताछ में इसी तमंचे से दिनांक १०–०५–२०१२ को अपने गांव में राजवीर व ओमकार से झगड़े के दौरान फायर करना बताया गया। जिसकी फर्द मौके पर ही विवेचक द्वारा तैयार करायी गयी व माल सील सर्वेमोहर किया गया, फर्द की नकल अभियुक्त को दी गयी एवं फर्द के आधार पर विवेचक द्वारा अभियुक्त योगेश चन्द्र के विरूद्व थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–३२** दिनांक ०१–०६–२०१२ को समय १०.१० ए०एम० बजे अपराध संख्या

३१९/१२, धारा २५ आयुध अधिनियम बनाम योगेश चन्द्र पंजीकृत करायी। जिसका खुलासा नकल रपट नम्बर–१६ समय १०.१० बजे रोजनामचा आम दिनांक ०१–०६–१२ थाना अलापुर में किया गया। जिसकी प्रति **प्रदर्श क–३३** है।

१०– मुकदमा अपराध संख्या २९३/२०१२, धारा १४७, १४८, १४९, ३०२, ३२३, ५०४, ४२९ भा०दं०सं० के अपराध के विवेचनाधिकारी द्वारा दौरान विवेचना गवाहान के बयान अन्तर्गत धारा १६१ दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये तथा विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान बरामदशुदा आलाकत्ल आग्नेयास्त्रों को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा भेजा गया तथा विवेचना पूर्ण करने के उपरान्त अभियुक्तगण रूपचन्द (दौरान विचारण मृत्यु), सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द शर्मा व नेकसू उर्फ अनिल कुमार के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए उनके विरूद्व धारा १४७, १४८, १४९, ३०२, ३२३, ५०४, ४२९ भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप पत्र **प्रदर्श क–२६** विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश आगरा के वैज्ञानिक अधिकारी की आख्या दिनांकित ३०–१३–२०१३ **कागज संख्या १०६क/१, १०६क/२** है।

११– मुकदमा अपराध संख्या २९४/२०१२, धारा २७/३० आयुध अधिनियम बनाम रूपचन्द शर्मा एवं मुकदमा अपराध संख्या २९५/२०१२, धारा ३/२५ आयुध अधिनियम बनाम सुनील कुमार के अपराध के विवेचनाधिकारी द्वारा दौरान विवेचना गवाहान के बयान अंतर्गत धारा १६१ दं०प्र०सं० अंकित किये गये व गवाहान की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी **प्रदर्श क–१४, प्रमाणित कार्बन प्रति प्रदर्श क–१२** तैयार किया व अभियोग चलाने की अनुमति **प्रदर्श क–१६ व प्रदर्श क–१७** जिला मजिस्ट्रेट बदायूं से प्राप्त की तथा विवेचना पूर्ण करने के उपरान्त अभियुक्त रूप चन्द शर्मा(दौरान विचारण मृत्यु) के विरूद्व धारा २७/३० आयुध अधिनियम के अंतर्गत व अभियुक्त सुनील कुमार के विरूद्ध धारा ३/२५ आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र क्रमशः **प्रदर्श क–१८ व प्रदर्श क–१९** न्यायालय में पेश किये गये।

१२– मुकदमा अपराध संख्या ३१९/२०१२, धारा २५ आयुध अधिनियम के अपराध के विवेचनाधिकारी द्वारा दौरान विवेचना गवाहान के बयान अंतर्गत धारा १६१ दं०प्र०सं० अंकित किये गये व गवाहान की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी **प्रदर्श क–२९** तैयार किया व अभियोग चलाने की अनुमति **प्रदर्श क–३०** जिला मजिस्ट्रेट बदायूं से प्राप्त की तथा विवेचना पूर्ण करने के उपरान्त अभियुक्त योगेश

चन्द्र के विरूद्ध आरोप पत्र **प्रदर्श क–३१** अन्तर्गत धारा २५ आयुध अधिनियम न्यायालय में पेश किया गया।

१३– अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त आरोपों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में पी०डब्लू०१ वादी मुकदमा मोहरपाल, पी०डब्लू०२ वीरपाल, पी०डब्लू०३ डा० आर०एस० यादव , पी०डब्लू०४ राजेश यादव थानाध्यक्ष, पी०डब्लू०५ कां०/क्लर्क सरोज श्रीवास्तव, पी०डब्लू०६ सेवानिवृत्त एस०आई० दिनेश चन्द्र यादव, पी०डब्लू०७ रिटायर्ड निरीक्षक चरन सिंह यादव व पी०डब्लू०८ रिटायर्ड कां० ओमकार को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है।

१४– **पी०डब्लू०१ वादी मुकदमा मोहरपाल** ने सशपथ अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि मैं मुल्जिम रूपचन्द्र, सुनील कुमार हरपाल उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द्र व नेकसू को जानता हूँ, जिनमें रूपचन्द्र को छोड़कर बाकी जेल में हैं, जिनमें नेकसू ग्योति धर्मपुर का है। शेष मेरे गाँव के हैं। यह सब आपस में बाप बेटे व रिश्तेदार हैं। आज से करीब एक साल दो माह पहले की बात है, मेरा छोटा भाई कमलेश मुल्जिम रूपचन्द्र शर्मा के मंदिर के पास खड़े आम के पेड़ों से कुछ अमियाँ तोड़ ली थी तभी रूपचन्द्र ने अमिया तोड़ते पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट करते हुए उलाहना देने को मेरे घर पर रूपचन्द्र आये और मेरे सामने गंदी–गंदी गालियाँ देते हुए मेरे बाबा चुन्नीलाल से कहने लगे कि तुम अपने नाती को समझा लो कि वह मेरे पेड़ों से अमिया न तोड़े नहीं तो हम कमलेश को छोड़कर तुम्हें मारेंगे। तभी मैंने व मेरे बाबा ने रूपचन्द्र को गाली देने को मना किया तभी रूपचन्द्र अपने मंदिर पर चले गए। यह बात दिन के १२–१ बजे की है। उसी दिन शाम को छः बजे रूपचन्द्र, सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश व नेकसू अपने–अपने हाथों में लाठी–डंडे लेकर चेतराम के घर के पास तक आये और गाली देने लगे। मेरे पिता ओमकार ने गाली देने को मना किया तभी हरस्वरूप ने मेरे पिता ओमकार के सिर पर लाठी मारी तथा सुनील व नेकसू ने मेरे भाई राजवीर को लाठी–डंडों से मारना शुरू कर दिया, जिससे उनके सिर व शरीर पर चोटें आयीं। हम लोगों के दबाव देने पर यह लोग भाग कर अपनी छत पर चढ़ गए । रूपचन्द्र ने लाइसेंसी बंदूक इकनाली से सुनील, हरस्वरूप, योगेश व नेकसू ने नाजायज तमंचों व बंदूक से हम लोगों पर जान से मारने के इरादे से फायर करना शुरू कर दिया, जिससे मेरा पिता ओमकार व भाई राजीव की फायर की चोटें लगने से मौके पर घायल हो गए और गिर गए। मुल्जिमान के द्वारा किए गए फायरों से मुन्नालाल के खण्डहर के पास चेतराम का बंधा बैल घायल हो गया तथा दीवारों पर फायरों के छर्रों के निशान हो गए व ईंट टूट

गयी। इस घटना को मैंने, सुखपाल, नेत्रपाल, चुन्नी लाल व धीरपाल ने अच्छी तरह देखा था। तभी मैं अपने घायल पिता व भाई को तांगा गाड़ी से थाना अलापुर लाये तभी थाने वालों इनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मजरूबी चिट्ठी देकर जिला अस्पताल बदायूँ इलाज को भेज दिया। जहाँ डॉक्टरों ने देखकर दोनों को मृत घोषित कर दिया और एक कमरे में दोनों शवों को रखवा दिया। तभी मैंने इस घटना की तहरीर अपने गांव के नेत्रपाल पुत्र छोटेलाल से लिखवा कर पढ़वाकर/सुनकर अपना निशानी अंगूठा लगाया। गवाह को तहरीर कागज संख्या ३क दिखायी व पढ़कर सुनायी तब कहा कि यह वही तहरीर है जो मैंने नेत्रपाल से बोलकर लिखायी, शामिल मिसिल है। तहरीर पर **प्रदर्श क–१** डाला गया। तहरीर को ले जाकर थाना अलापुर में दीवानजी को दी और मुकदमा कायम कराया। दरोगाजी ने घटना के तीसरे दिन मेरा बयान लिया और मेरी निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया।

१५– **पी०डब्लू०२ वीरपाल** ने सशपथ अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि मैं मुल्जिमान हाजिर अदालत रूपचन्द्र, सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द्र व नेकसू को जानता हूँ। नेकसू व्यूटी धर्मपुर का रहने वाला है। शेष सभी मुल्जिमान मेरे गाँव के रहने वाले हैं। इस सब आपस में बाप, बेटे व भाई हैं। अब से करीब २ साल डेढ़ महीने पहले की बात है। मैं खेत पर काम करने गया था। शाम के समय मैं घर आया तो मैंने सुना कि मेरा छोटा भाई कमलेश करीब दो बजे दिन रूपचन्द्र के पेड़ से आम तोड़ लिए थे, जिसकी रूपचन्द्र ने मेरे दादा चुन्नी लाल से शिकायत की और गाली–गलौंज किया। खेत से आने के बाद उसी दिन करीब शाम के छह बजे रूपचन्द्र, सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द्र व नेकसू अपने–अपने हाथों में लाठी–डंडा लेकर आये और मेरे पिता ओमकार व राजवीर को लाठी–डंडों से चेतराम के घर के सामने मारपीट करने लगे। हम लोगों के आगे बढ़ने पर मुल्जिमान अपने घर चले गए और अपनी फन्डरिया पर चढ़कर रूपचन्द्र ने अपनी लाइसेंसी बन्दूक व सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप व योगेश चन्द्र व नेकसू अपने हाथों में नाजायज तमंचा बंदूक लिए थे, ने अपने–अपने हथियारों से मेरे पिता ओमकार व भाई राजवीर के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर करना शुरू कर दिये। मुल्जिमान के किए हुए फायरों की चोटें मेरे पिता ओमकार व भाई राजवीर के लगे, जिससे वह घायल होकर मौके पर गिर पड़े। इसके बाद भी मुल्जिमान फायर करते रहे। इसमें से एक फायर चेतराम के बैल के लगा, जिससे बैल घायल हो गया तथा एक फायर मेरी दीवार में लगा, जिसके लगने से दीवार का अध्धा निकल गया। यह घटना मैंने व मेरे भाई मोरपाल व गाँव के सुखपाल

मेरे बाबा चुन्नीलाल तथा नेत्रपाल व अन्य लोगों ने देखी थी। हम लोगों ने पिता भाई को देखा तो वह सांस ले रहे थे। घायल पिता व भाई को तांगे में डालकर थाने अलापुर लाये। जहाँ पुलिस वालों चुटैलों को चिट्ठी देकर अस्पताल बदायूँ भेजा। अलापुर से एक वैन गाड़ी किराये पर लेकर उस पर पिता व भाई को लेकर अस्पताल लाये। जिला अस्पताल में डॉ० साहब ने मेरे पिता व भाई को देखकर मृतक घोषित कर दिया। मुल्जिमान से हमारी व हमारे परिवार की कोई रंजिश नहीं थी।

१६– **पी०डब्लू०३ डा० आर०एस० यादव, वरिष्ठ परामर्शदाता सर्जन जिला अस्पताल बदायूं** ने सशपथ अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि मैं दिनांक – ११–०५–२०१२ को इसी पद व स्थान पर तैनात था। उस दिन मैंने मृतक राजवीर सिंह पुत्र स्व० ओमकार निवासी नगरिया हरदासपुर, थाना–अलापुर, जिला–बदायूँ के शव का शवविच्छेदन समय ४ बजकर १५ पी०एम० पर किया था। मृतक को एस०ओ० अलापुर के द्वारा सीलबंद हालत में भेजा था। शव को लेकर कां० ११०७ रत्नेश कुमार व सी०पी० ४२१ परमेश्वरी दयाल थाना अलापुर से लाये थे और शव की शिनाख्त की थी। सील सही पायी गयी। इसके बाद शव को खोला गया। मृतक की आयु करीब १८ वर्ष थी। शव करीब एक दिन पुराना था।

वाह्य परीक्षण– मृतक औसत कद काठी का था। आँख व मुँह आधे खुले थे। मृत्यु के पश्चात की अकड़न शरीर के ऊपरी भाग से जा चुकी थी तथा निचले भाग में मौजूद थी। मृत्यु के पश्चात की स्टेनिंग पीठ व वटक में मौजूद थी।

मृत्युपूर्व आयी चोटें:–

१– फटा हुआ घाव ६ X १ से०मी० के आकार का सिर पर दाहिनी ओर जो कि दाहिने कान से १० से०मी० ऊपर तथा हड्डी तक गहरा था।

२–आग्नेयास्त्र के घुसने का घाव १० X ६ से०मी० के आकार का दाहिनी भुजा पर अंदर की ओर तथा दाहिनी छाती पर बाहर की ओर था, जो कि दाहिना बगल से ४ सेमी० नीचे था। कालर ऑफ आवरेजन प्रजेंट।

३–एक खरोंच १.५ X १सेमी० के आकार का दाहिनी जांघ पर जो कि दाहिने घुटने से २ से०मी० ऊपर थी।

४–आग्नेयास्त्र के निकलने का घाव १ X १ से०मी० के आकार का दाहिनी छाती पर पीछे की ओर जो कि सीधे स्केपुला इनफिरियर एंगल से ६ से०मी० नीचे था।

५– आग्नेयास्त्र के निकलने का घाव १से०मी० X १ से०मी० के आकार का दाहिनी छाती पर पीछे की ओर जो कि दाहिनी स्केपुला के इनफिरियर एंगल से १५ से०मी०

नीचे था।

आंतरिक परीक्षण–दाहिना प्लोरा फटा हुआ था तथा दाहिनी फेफड़ा फटा था। बांया फेफड़ा सामान्य था तथा ७०० एम०एल० खून प्लूलर कैविटी में मौजूद था। हृदय के दोनों चैम्बर खाली थे। हृदय का वजन २३० ग्राम था। दांत १५/१५ थे, आमाशय खाली था। आमाशय की झिल्ली सामान्य थी। छोटी आंत में काई व गैसेस थी। बड़ी आंत में टट्टी व गैस थी। यकृत फटा हुआ था। वजन १३०० ग्राम था। पित्ताशय आधा फटा हुआ था। दाहिना गुर्दा भी फटा हुआ था। बांया गुर्दा सामान्य था। वजन २३० ग्राम था। प्लीहा सामान्य थी। मूत्राशय खाली था। जनन के अंग सामान्य था। मेरी राय में मृत्यु का कारण सदमा व अत्यधिक रक्तस्राव था, जो कि मृत्युपूर्व आयी फायर आर्म्स इंजरी का परिणाम था। पी०एम० करने के पश्चात निम्नलिखित कपड़े उतारकर साथ आये कां० को दिए जो निम्न हैं:–

१– पैंट एक, टीशर्ट एक, गले की माला तावीज सहित एक, एक कलावा धागा, एक अण्डर वियर कुल पाँच अदद। रिपोर्ट वरवक्त पी०एम० तैयार की थी, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। पी०एम० रिपोर्ट पत्रावली पर कागज संख्या–२ है। पी०एम० रिपोर्ट पर प्रदर्श क–२ डाला गया। मृतक के मृत्युपूर्व लाठी–डंडो व फायरों की चोटें पायी गयीं। यह चोटें दिनांक–१०–०५–२०१२ की शाम छः बजे आना संभव है। राजवीर के पी०एम० में भूलवश ऊपरी हिस्से में ११ –०५–११ अंकित हो गया है, जबकि पी०एम० के अंत पर दो स्थान पर ११–५–१२ मेरे द्वारा अंकित किया गया है।

आगे उक्त साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसी दिन मैंने समय ३ बजकर २५ पी०एम० पर मृतक ओमकार पुत्र चुन्नी लाल निवासी ग्राम नगरिया हरदासपुर थाना अलापुर बदायूँ के शव का शव विच्छेदन किया था। जिसे सीलवंद हालत में एस०एच०ओ० कोतवाली बदायूँ द्वारा ले जाया गया था। शव को लेकर कां० ११०७ रत्नेश कुमार व सी०पी० ४२१ परमेश्वरी दयाल लेकर आये थे व शव की शिनाख्त की थी। मृतक की उम्र लगभग ४८ वर्ष थी। शव लगभग एक दिन पुराना था।

वाहय परीक्षण–मृतक औसत कद काठी का था। आँख व मुँह आधे खुले थे। मृत्यु के पश्चात की अकड़न शरीर के ऊपरी भाग से जा चुकी थी तथा शरीर के निचले भाग में मौजूद थी। मृत्यु के पश्चात की स्टेनिंग पीठ व वटक में मौजूद थी।

मृत्यु पूर्व आयी चोटें:–

१– आग्नेयास्त्र का घाव ३ X १ से०मी० के आकार का सिर पर दाहिनी ओर जो कि दाहिनी भौं से ६ सेमी० ऊपर था। हड्डी तक गहरा था। कालर आफ आवरेजन मौजूद

था। जो अण्डे के आकार का था, जो होरीजेंटल था।

२– फटा हुआ घाव २ से०मी० X १ से०मी० के आकार का सिर पर बांयी ओर जो कि चोट नंबर १ से २ से०मी० पीछे की ओर था।

३– आग्नेयास्त्र के घुसने का आकार ३ X ३ से०मी० के आकार का छाती पर दाहिनी ओर जो निपिल से १४ से०मी० ऊपर था क्लेविक हडडी से नीचे था। गुहा तक गहरा था, कालर आफ एवरेजन मौजूद था।

४–आग्नेयास्त्र निकलने का घाव १ X १ से०मी० के आकार का दाहिनी छाती पर पीछे की ओर जो कि दाहिने कंधे के टॉप से ११ से०मी० नीचे था तथा चैस्ट वाल की कैविटी से एक मैटेलिक पीस बरामद किया था।

५– आग्नेयास्त्र से निकलने का घाव १.५ X १ से०मी० के आकार का दाहिनी छाती पर पीछे की ओर जो कि दाहिने कंधे के टाप से १५ से०मी० नीचे था।

६– फटा हुआ घाव २ X १ से०मी० के आकार का बांयी अग्रवाहु पर पीछे की ओर जो कि कोहनी से ५ से०मी० नीचे था तथा मांसपेशी तक गहरा था।

७– फटा हुआ घाव २ X १ से०मी० के आकार का बांयी अग्रवाहु पर पीछे की ओर जो कोहनी से ८ सेमी० नीचे तथा मांसपेशी तक गहरा था।

८– एक खरोंच १.५ X १ से०मी० के आकार का बांयी अग्रवाहु पर जो कलाई से ३ से०मी० ऊपर था।

९– एक खरोंच ६ X ३ से०मी० के आकार की बांये घुटने पर मौजूद थी।

१०– एक खरोंच ५ से०मी० x २ से०मी० के आकार की दाहिने घुटने पर।

आंतरिक परीक्षण– छाती पर दाहिनी और तीसरी व चौथी पसली पर फ्रैक्चर था। दाहिनी प्लुरा फटी हुआ था तथा दाहिना फेफड़ा फटा हुआ था तथा ५०० एम०एल० ब्लड प्लुरा कैविटी में मौजूद। बांया फेफड़ा सामान्य, हृदय के दोनों चैम्बर खाली थे। हृदय का वजन २३० ग्राम था। दांत १५/१४ थे। आमाशय खाली थी। आमाशय की झिल्ली खाली थी। छोटीं आंत में काई व गैस थी। बड़ी आंत में टट्टी व गैस थी। यकृत सामान्य था। वजन १२०० ग्राम था। पित्ताशय आधा भरा हुआ था। प्लीहा सामान्य थी वजन १३० ग्राम, गुर्दे सामान्य वजन २३० ग्राम मूत्राशय खाली था। जनन के अंग सामान्य थे। मेरी राय में मृत्यु का कारण सदमा व अत्यधिक रक्तस्राव था, जो कि मृत्युपूर्व आयी आर्म्ड फायर इंजरी का परिणाम था। पी०एम० करने के पश्चात निम्न कपड़े मृतक के शरीर से उतारकर साथ आये कां० को दिए गए। अण्डवियर एक, टीशर्ट एक, एक हाथ का कलावा कुल तीन अदद व एक छोटे टिन के डिब्बे में एक मैटेलिक

पीस दिया था। यह पी०एम० रिपोर्ट मैंने वरवक्त पी०एम० तैयार की जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जो कागज संख्या ९क/२ पी०एम० रिपोर्ट पत्रावली पर है। ९क/२ पी०एम० रिपोर्ट पर प्रदर्श क–३ डाला गया। मृतक के शरीर पर लाठी–डंडे व फायरों की चोटें पायी गयीं। चोटें कुंद आले व सख्त वस्तु की रगड़ से आना संभव थी। यह चोटें १०–०५–१२ की शाम छः बजे आना संभव है। फायरों की चोटें मृत्यु के लिए पर्याप्त थी।

१७– **पी०डब्लू०४ राजेश यादव थानाध्यक्ष** ने सशपथ अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक–१०–०५–२०१२ को मैं थाना अलापुर पर तैनात था। इसी दिन मुझे थाना अलापुर पर मुकदमा अपराध संख्या २९३/२०१२, धारा–१४७, १४८, १४९, ३०२, ४२९ भा०दं०सं० कायम हुआ। उस मुकदमें से संबंधित मृतक राजवीर सिंह पुत्र ओमकार सिंह निवासी नगरिया हरदासपुर, थाना अलापुर, जनपद–बदायूँ का शव जिला अस्पताल की मोरचरी में रखा था, जिसका पंचायतनामा दिनांक–११–०५–१२ को जिला अस्पताल, बदायूँ में बाद नियुक्त कर पंचान मेरे द्वारा भरा गया था तथा शव को सील सर्व मोहर कर वास्ते कराने पोस्टमार्टम कां० ११०७ रत्नेश कुमार दीक्षित व कां० ४२१ परमेश्वरी दयाल को सुपुर्द कर मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया था। पंचायतनामा पर नियुक्त पंचानों के हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा लगवाये गए थे। पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या–१०क/१ पंचायतनामा कागज संख्या–११क/२ फोटो नाश कागज संख्या १२क/२ नमूना मोहर कागज संख्या–१३क/२ चालान नाश १५क/२ चिट्ठी सी०एम०ओ० मेरे लेख व हस्ताक्षर में हैं, जिस पर प्रदर्श संख्या क्रमशः प्रदर्श क–४, प्रदर्श क–५, प्रदर्श क–६, प्रदर्श क–७ व प्रदर्श क–८ डाला गया। इसी दिन उपरोक्त मुकदमें से संबंधित मृतक ओमकार पुत्र चुन्नी लाल निवासी ग्राम हरदास थाना अलापुर, जिला–बदायूँ का पंचायतनामा जिला–अस्पताल बदायूँ में ही एस०आई० एम०एम० खान थाना कोतवाली, बदायूँ द्वारा भरा गया था। शव को सील सर्व मोहर कर उपरोक्त कांस्टेबिलों को वास्ते पोस्टमार्टम हेतु सुपुर्द किए गए थे। मृत्यु का कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। एस०आई० एम०एम० खान मेरे साथ रहे हैं। मैं उनके लेख व हस्ताक्षर को भली–भांति जानता पहचानता हूँ। पत्रावली में उपलब्ध कागज संख्या–१०क/१ पंचायतनामा कागज संख्या ११क/१ फोटो लाश, कागज संख्या १२क/१ नमूना मोहर, १३क/१ चालान लाश, १५क/१ चिट्ठी सी०एम०ओ० एस०आई० एम०एम० खान के लेख व हस्ताक्षर में है, जिन पर प्रदर्श क–९, प्रदर्श क–

१०, प्रदर्श क–११, प्रदर्श क–१२, प्रदर्श क–१३ डाला गया। इसी मुकदमें से संबंधित एस०टी०नंबर ७७८/१२ मुकदमा अपराध संख्या–२९४/१२, धारा–२७/३० आर्म्स एक्ट बनाम रूपचन्द्र व ७७७ /१२ मु०अ०सं०–२९५/१२, धारा–३/२५ आर्म्स एक्ट बनाम सुनील कुमार जो कि वादी एस०आई० दिनेश चन्द्र थाना अलापुर, बदायूँ द्वारा थाने पर पंजीकृत कराये थे। उपरोक्त मुकदमें से संबंधित मुझ एस०आई० को विवेचना दिनांक–१२–०५–१२ को किता कर नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ०आई०आर० लेखक, बयान अभियुक्त रूपचन्द्र व बयान अभियुक्त सुनील के अंकित कर परचा किता किया। दिनांक–१४–०५–१२ को जिसमें बयान वादी एस०आई० दिनेश चन्द्र बयान गवाह एस०आई० बलवीर सिंह बयान गवाह कांस्टेबिल अजय कुमार के अंकित कर वादी की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण व नक्शा–नजरी बनाया गया था, जो पत्रावली पर प्रदर्श क–१४ डाला गया, जो पत्रावली पर कागज संख्या ६क/१ के रूप में उपलब्ध है, मेरे लेख व हस्ताक्षर में है तथा इसी नक्शा–नजरी की कार्बन कापी एस०टी० नंबर ७७७/१२ बनाम सुनील कुमार पर उपलब्ध है, जो कागज संख्या ६क/१ के रूप में उपलब्ध है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद हैं, जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–१५ डाला गया। दिनांक–१७–०५–१२ को पर्चा नं०३ जिसमें बयान गवाह कां० तेज प्रताप मिश्रा व कां० उर्मिलेश कुमार के बयान अंकित किए गए। दिनांक १८–०६–१२ को पर्चा नंबर ४ जो कि मुकदमा संख्या–२९४/१२, धारा २७/३० आर्म्स एक्ट बनाम रूप चन्द्र व मुकदमा अपराध संख्या–२९५/१२, धारा–३/२५ आर्म्स एक्ट बनाम सुनील कुमार को अलग–अलग किता करे नकल आदेश डी०एम० अनुमति की नकल की गयी, जो पत्रावली पर कागज संख्या ९क/१ के रूप में उपलब्ध बनाम रूपचन्द्र जिस पर प्रदर्श क–१६ डाला गया तथा मुकदमा अपराध सं० २९५/१२ धारा ३/२५ आर्म्स एक्ट बनाम सुनील कुमार डी०एम० अनुमति पत्रावली पर कागज ९क/१ अभियोग चलाने हेतु मेरे द्वारा ली गयी थी, जो पत्रावली पर उपलब्ध जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर उपलब्ध है, जिस पर प्रदर्श क–१७ डाला गया तथा इसी पर्चे में मेरे द्वारा मुकदमा अपराध संख्या –२९४/१२ अंतर्गत धारा–२७/३० आर्म्स एक्ट बनाम रूपचन्द्र के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रेषित किया जा रहा जो पत्रावली पर उपलब्ध आरोप–पत्र सं०–१०९/१२ दिनांक–१८–०६–१२ को रूपचन्द्र शर्मा के विरूद्ध न्यायालय में उपलब्ध कराया है, जो पत्रावली पर ३क/१ के रूप में उपलब्ध है, मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–१८ डाला गया तथा मुकदमा अपराध संख्या–२९५/१२ धारा ३/२५ से संबंधित सुनील कुमार के विरूद्ध

आरोप–पत्र संख्या–११०/१२ दिनांक–१८–०६–१२ को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया, जो पत्रावली पर कागज संख्या ३क/१ रूप में उपलब्ध है, मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–१९ डाला गया।

१८– **पी०डब्लू०५ कां०/क्लर्क सरोज श्रीवास्तव** ने सशपथ अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक–१०–०५–१२ को थाना अलापुर पर बतौर कां०क्लर्क तैनात था। उसी दिन वादी मुकदमा मोरपाल पुत्र ओमकार निवासी नगरिया हरदास, थाना–अलापुर, जिला–बदायूँ द्वारा थाना पर लाया गया किताशुदा तहरीर के आधार पर उसी दिन समय २०:१० बजे चिक एफ०आई०आर० संख्या– ६१/१२ जिसका मु०अ०सं०– २९३/१२ सरकार प्रति रूपचन्द्र आदि अंतर्गत धारा ३०२ भा०दं०सं० थाना अलापुर कायम किया। मेरे द्वारा किता की गयी चिक एफ०आई०आर० संख्या–४क/१ ता ४क/२ पत्रावली पर है, मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। चिक एफ०आई०आर० पर प्रदर्श क–२० डाला गया। चिक एफ०आई०आर० का खुलासा मैंने उसी दिन रपट नं० ४१ पर समय २०.१० बजे किया। जी०डी० खुलासा को एक ही प्रक्रिया में तैयार कार्बन प्रति पत्रावली पर कागज संख्या ७क/१ है। मूल जी०डी० साथ लाया हूं। असल से मिलान कर कापी जी०डी० प्रमाणित करता हूं। इसकी पुष्टि करता हूं। मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। कार्बन प्रति जी०डी० पर प्रदर्श क –२१ डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

१९– **पी०डब्लू०६ सेवानिवृत्त एस०आई० दिनेश चन्द्र यादव** ने सशपथ अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक–१०–०५–२०१२ को मैं थाना अलापुर पर बतौर एस०आई० सी०आई० के पद पर तैनात था। थाने पर पंजीकृत मु०अ०सं०–२९३/२०१२, धारा १४७, १४८, १४९, ३०२, ३२३, ४२९, ५०४ भा०दं०सं० बनाम रूपचन्द्र आदि की विवेचना मेरे द्वारा स्वयं ग्रहण कर गयी थी। इस दिनांक को केस डायरी का पर्चा नंबर १ किता किया गया जिसमें नकल चिक, नकल रपट तथा बयान चिक लेखक अंकित किए तथा बयान तहरीर लेखक अंकित किए। दिनांक–११–०५–१२ सी०डी०२ किता की, जिसमें मृतक ओमकार व मृतक राजवीर के पंचायतनामा का विवरण अंकित है। मौके पर प्राप्त ६ खोखा कारतूस बरामद हुए जिसकी फर्द मौके पर मेरे द्वारा तैयार की गयी। फर्द पत्रावली पर कागज संख्या १६क/३ मेरे सामने है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर प्रदर्श क–२२ डाला गया। मृतक राजवीर से संबंधित खूनालूदा मिट्टी की मौके पर मेरे द्वारा तैयार की गयी। मूल फर्द पत्रावली पर कागज संख्या १६क/२ तथा मृतक ओमकार से संबंधित खूनालूदा व सादा

मिट्टी की फर्द मेरे द्वारा तैयार की गयी जो कागज संख्या–१६क/१ है, जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–२३ व प्रदर्श क–२४ डाला गया। इसी दिनांक को सी०डी० २ किता की गयी, जिसमें अभियुक्त रूपचन्द्र एवं सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त रूपचन्द्र के कब्जे से लाइसेंसी एसबीएल गन मय ५ कारतूस १२ बोर व अभियुक्त सुनील के कब्जे से एक तमंचा १२ बोर तथा दो कारतूस जिंदा व एक खोखा कारतूस बरामद हुए। आगे मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया है कि अभियुक्त रूपचन्द्र व सुनील के थाने में कथन अंकित किए। दोनों अभियुक्तों ने जुर्म का इकबाल करते हुए ओमकार व राजवीर की गोली मारकर हत्या करना स्वीकार किया। सी०डी० के पर्चा नंबर ३ में मृतक ओमकार व राजवीर की पी०एम० रिपोर्ट की कार्बन प्रति प्राप्त हुई जिसके अवलोकन के उपरांत उसका सार केस डायरी लिखा तथा वादी मोरपाल का कथन उसके घर पर अंकित किया। वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा नक्शा–नजरी तैयार किया। नक्शा–नजरी कागज संख्या–६क मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, इसमें जरूरी खसरा दर्ज है इस पर प्रदर्श क–२७ डाला गया तथा समायी साक्ष्य के रूप में साक्षी तोताराम , गोवर्धन, सियाराम के कथन अंकित किए । सी०डी० के पर्चा नंबर ४ में अभियुक्तों की तलाश की गयी जो दस्तयाव नहीं हुए। सी०डी० के पर्चा नंबर ५ दिनांक–१४–०५–१२ को विवेचना थानाध्यक्ष चरन सिंह यादव के अवकाश से वापस आने पर विवेचना उनके द्वारा ग्रहण की गयी। दिनांक–११–०५–१२ को मेरे द्वारा हमराह एस०आई० बलवीर सिंह, अजय कुमार, तेजप्रताप, उर्मिलेश कुमार मय जीप सरकारी मय चालक के जी०डी० नंबर ३४ समय २१:२० पी०एम० पर रवाना होकर इस मुकदमा अपराध संख्या–२९३/१२ में मामूर थे। म्याउं में दातागंज तिराहे पर पहुँचे तो मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए जनता के गवाह फराहम करने की कोशिश की कोई भलाई बुराई के कारण तैयार नहीं हुआ। आपस में एक–दूसरे की जामा तलाशी ली गयी, कोई नाजायज वस्तु आपस में नहीं मिली। मुखबिर के बताये अनुसार सार्वजनिक शौचालय के पास दो व्यक्ति की ओर इशारा किया जिनमें से एक पर बंदूक थी तो मैंने मय हमराहियान की मदद से टार्च की रोशनी डालते हुए आवश्यक बल प्रयोग करके दोनों अभियुक्तों को पकड़ लिया। नाम पता पूछने पर एक बंदूक वाले व्यक्ति ने अपना नाम रूपचन्द्र शर्मा बताया तथा जामा तलाशी से एक एसबीबीएल १२ बोर बंदूक लाइसेंसी जिसका हुलिया मुताबिक फर्द है, चालू हालत में थी। नाल खोलने पर नाल खाली थी। पहने कुर्ते की बांयी जेब से पाँच कारतूस १२ बोर जीवित बरामद हुए। दूसरे ने अपना नाम सुनील कुमार पुत्र रूपचन्द्र बताया तथा पहने जींस पेंट की दाहिनी फैट से

एक तमंचा १२ बोर जिसका हुलिया फर्द में है, जींस की दाहिनी जेब से दो जीवित व एक खोखा कारतूस बरामद हुआ, जिसका हुलिया फर्द में है। पूछताछ पर रूपचन्द्र शर्मा ने बताया बंदूक मेरी लाइसेंसी है, परंतु इस समय लाइसेंस नहीं है तथा सुनील ने तमंचे की वावत माफी मांगी । दोनों ने बताया कि हम दोनों ने इन्हीं असलाहों से गालियाँ चलायी थीं, जिनसे ओमकार व राजवीर की हत्या हुई थी। बरामद माल को कब्जे में लेकर अलग–अलग कपड़े में रखकर नमूना मोहर सील मोहर किया गया तथा दोनों अभियुक्तों को जुर्म से अवगत कराते हुए हिरासत में लिया तथा फर्द मौके पर ही एस०आई० बलवीर सिंह से टार्चों की रोशनी में लिखायी थी तथा हमराहियान के हस्ताक्षर कराये थे तथा फर्द की नकल अभियुक्तों को दी गयी तथा हस्ताक्षर कराये गए। फर्द कागज संख्या ५क/१ है, जिस पर प्रदर्श क–२८ डाला गया। माल व मुल्जिम को लेकर थाने आये तथा दिनांक–११–०५–१२ को २३:५० बजे फर्द के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया। मु०अ०सं०–३१९/१२ धारा–२५ आर्म्स एक्ट बनाम योगेश का अभियोग दिनांक–०१–०६–१२ समय १०:१० ए०एम० पर एस०ओ० अलापुर चरन सिंह द्वारा पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना मेरे सुपुर्द हुई थी। मैंने पर्चा नंबर १ दिनांक–०१–०६–१२ को अंकित किया, जिसमें नकल एफ०आई०आर०, नकल रपट कायमी मुकदमा, रपट नंबर १६ संलग्न सी०डी० की। बयान लेखक एफ०आई०आर० अंकित किए तथा अभियुक्त योगेश चन्द्र के बयान अंकित किए थेतथा पर्चा २ में दिनांक–०२–०६–१२ को वादी चरन सिंह यादव का कथन अंकित किया तथा एस०आई० प्रताप सिंह व कां० नितिन कुमार व कां० दीपक कुमार का कथन अंकित किया तथा एस०आई० प्रताप सिंह की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी कागज संख्या ६क तैयार किया, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर प्रदर्श क–२९ डाला गया तथा समायी साक्षी वीरपाल व गोवर्धन का कथन अंकित किया। सी०डी० के पर्चा नंबर ३ में अभियुक्त योगेश चन्द्र के विरूद्ध तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट श्री मयूर माहेश्वरी से अनुमति प्राप्त की। श्री मयूर माहेश्वरी द्वारा बरामदशुदा तमंचा व खोखा कारतूसों का तथा अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया तथा पूर्ण संतुष्टि होने पर मेरे सामने अभियोजन की अनुमति प्रदान की। अभियोजन अनुमति कागज संख्या ९क/१ पर श्री मयूर माहेश्वरी के हस्ताक्षर हैं जिस पर प्रदर्श क–३० डाला गया। संपूर्ण विवेचना के उपरांत दिनांक–१०–०७–१२ को अभियुक्त योगेश चन्द्र के विरूद्ध आरोप–पत्र संख्या १२१/१२ अंतर्गत धारा २५ आर्म्स एक्ट मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया। आरोप–पत्र मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर प्रदर्श

क–३१ डाला गया।

२०– **पी०डब्लू०७ रिटायर्ड निरीक्षक चरन सिंह यादव** ने सशपथ अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनाँक १०.०५.२०१२ को मैं थाना अलापुर में थानाध्यक्ष के पद पर तैनात था। उस दिन में मैं तीन दिन के अवकाश पर था। वादी मोरपाल द्वारा अभियुक्त रुपचन्द व ४ अन्य के विरुद्ध अंतर्गत धारा १४७, १४८, १४९, ३०२, ३२३, ४२९, ५०४ भा०दं०सं० पंजीकृत कराया था। इसकी आरम्भिक विवेचना एस.आई. दिनेश चन्द्र यादव द्वारा सम्पादित की गयी थी। अवकाश से वापस आने पर मैंने दिनाँक १४.०५.२०२२ को विवेचना मैंने ग्रहण की। सी०डी० ५ए में पूर्व किता सी०डी० का अवलोकन किया तथा मुल्जिमान के घरों पर गिरफ्तारी हेतु दविश दी गयी। दस्तयाव नहीं हुए। दिनाँक १६.०५.२०१२ को सी०डी०–६ में अभियुक्त हरफन उर्फ हरस्वरूप को गिरफ्तार किया तथा थाने पर लाकर उसका कथन अंकित किया जिसमें उसने जुर्म का इकबाल किया। सी०डी० –७ में दिनाँक १७.०५.२०१२ को अभियुक्त नेकसू उर्फ अनिल को गिरफ्तार किया गया था तथा उसका कथन अंकित किया। सी़डी०७ए दिनाँक १७.०५.२०१२ को थाने कार्यालय से प्राप्त मृतक ओमकार व राजवीर सिंह के पंचायत नामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई तथा गवाह चुन्नीलाल व सुखपाल चश्मदीद साक्षियों का कथन अंकित किया। सी०डी०८ में दिनाँक २१.०५.२०१२ को चश्मदीद गवाह वीरपाल का कथन अंकित किया गया तथा पंचायतनामा के गवाह सुखपाल, विजय, रामप्रकाश, मोरपाल का कथन अंकित किये। इसी दिन फर्द खोखा कारतूस व फर्द खूनालूदा व सादा मिट्टी के गवाह का बयान किया गया। सी०डी०९ में दिनाँक २२.०५.२०१२ अभियुक्त योगश चन्द्र द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया तथा रोपकार हाजरी का उल्लेख किया गया। दिनाँक २५.०५.१२ को सी०डी०१० में घटना में घायल बैल के डॉक्टरी परीक्षण कराने का प्रयास किया तो बैल स्वामी चेतराम के भतीजी ऋृषिपाल ने डॉक्टर को प्रार्थना पत्र दिया कि मैं अपने बैल का डॉक्टरी परीक्षण नहीं करने के लिये दिये प्रार्थना पत्र की नकल केस डायरी में की गयी। सी०डी०११ में दिनाँक २६ .०५.२०१२ को हाजिर अदालत योगेशचन्द्र का बयान जेल में जाकर अंकित किया जिसमें जुर्म स्वीकार करते हुए तमंचा बरामद कराने की बात कही। सी०डी०१२ दिनाँक २८.०५.१२ पर अभियुक्त योगेशचन्द्र को पी०सी०आर० पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया गया। सी०डी०१३ दिनाँक ३१.०५.१२ को अभियुक्त योगेशचन्द्र का २४घण्टे का पी०सी०आर० स्वीकार हुआ। उस दिन नियमानुसार उसे जेल से लिया गया। सी०डी०१४ दिनाँक

०१.०६.२०१२ को अभियुक्त योगेश की निशादेही पर झाड़ियों से उसके बताये स्थान स्वयं आगे चलकर एक तमंचा १२ बोर मय खोखा कारतूस नाल में फंसा हुआ अपने हाथ से दिया। जिसके संबंध में नियमानुसार फर्द तैयार की गयी तथा माल को मौके पर भी सील सर्वेमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। बरामदगी के समय अभियुक्त ने बताया था कि दिनाँक १०.०५.२०१२ को अपने गाँव में राजवीर व ओमकार पर इसी तमंचे से फायर किये थे और इस तमंचे को यहाँ लाकर छिपा दिया था। फर्द मेरे द्वारा बोलने पर एस०आई० प्रताप सिंह ने अंकित की तथा फर्द पर हमराही कर्मचारीगण के हस्ताक्षर कराये गये। मैंने भी फर्द पर हस्ताक्षर करके नकल फर्द अभियुक्त को दी गयी तथा उसके हस्ताक्षर कराये गये। फर्द संलग्न पत्रावली है जिस पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये इस पर प्रदर्श क–२५ डाला गया। इसके उपरान्त माल व मुल्जिम को लेकर थाने आये तथा इसी दिनाँक ०१.०६.२०१२ को समय १०.१०ए०एम० अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया। माल बरामदगी का समय दिनाँक ०१.०६.२०१२ समय ०८.०५ ए०एम० का था। सी०डी०१५ में दिनाँक ०२.०६.२०१२ को बरामदगी आला कत्ल के गवाह एस०आई० प्रताप सिंह, कां० दीपक कुमार, कां० नितिन कुमार के कथन अंकित किये तथा इसी दिनाँक को सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त अभियुक्त रुपचन्द्र, सुनील, हरफन उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द्र शर्मा व नेकसू उर्फ अनिल कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या ९५ /२०१२ अंतर्गत धारा १४७, १४८, १४९, ३०२/३२३, ५०४, ४२९ भा०दं०सं० थाना अलापुर में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। आरोप पत्र मेरे लेख व हस्ताक्षर में हैं इस पर प्रदर्श क–२६ डाला गया।

आगे इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया है कि एक सील बण्डल आलाकत्ल माल जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण उपरान्त प्राप्त हुआ है सील बण्डल न्यायालय की अनुमति से खोला गया। सील बण्डल में दो तमंचे निकले तथा एक बन्दूक लाइसेंसी १२बोर निकली उपरोक्त दोनों तमंचे व बन्दूक पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा से एक ही बण्डल में सील कर भेज गये हैं तथा इन पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा के ही नम्बर अंकित है। तमंचों में से एक तमंचा अभियुक्त योगेश के कब्जे से उसकी निशादेही पर बरामद किया जो दिनाँक ०१.०६.१२ को समय ८.०५ बजे आगे–आगे चलकर अभियुक्त ने निकाल कर दिया था। अभियुक्त योगेश से बरामद तमंचे पर **वस्तु प्रदर्श–१** डाला गया। एस०आई० दिनेश चन्द्र द्वारा दिनाँक ११.०५.१२ को अभियुक्त रूपचन्द्र से बरामद एस०बी०बी०एल० गन लाइसेंसी

पर **वस्तु प्रदर्श–२** डाला गया। अभियुक्त सुनील के कब्जे से तमंचा १२बोर जो उपरोक्त एस०आई० दिनेश चन्द्र द्वारा बरामद किये गये हैं। सुनील से बरामद तमंचे पर **वस्तु प्रदर्श–३** डाला गया। इसी सील बण्डल से एक खोखा कारतूसों का बण्डल जिसमें ९ खोखा कारतूस हैं जो प्रयोगशाला से Tested किये गये खोखा कारतूस हैं जिस पर टी०सी०–१ से टी०सी०–९ अंकित है। जिन पर क्रमशः **वस्तु प्रदर्श–४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२** डाला गया। इसी तरह से एक कागज के दूसरे लिफाफे में खोखा कारतूस जिनकी संख्या ८ है जिन पर ई०सी०–१ से ई०सी०–८ तक अंकित है। इन पर क्रमशः **वस्तु प्रदर्श–१३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०** डाला गया तथा एक अन्य तीसरे लिफाफे में १२ बोर के जीवित कारतूस जिनकी संख्या सात है, निकले जिन पर एल०सी०–१ से एल०सी०–७ तक अंकित है। इन पर क्रमशः **वस्तु प्रदर्श–२०, २१, २२, २३, २४, २५, २६** डाला गया।

२१– **पी०डब्लू०८ रिटायर्ड कां० ओमकार** ने सशपथ अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक ०१–०६–२०१२ को मैं थाना अलापुर बदायूँ में बतौर सहायक लेखक नियुक्त था। उस दिन थानाध्यक्ष चरन सिंह यादव द्वारा एक किता फर्द बरामदगी एक अदद तमंचा देशी १२ बोर मय खोखा कारतूस संबंधित मुकदमा अपराध संख्या– २३९/२०१२ का आला कत्ल की एफ०आई०आर० संख्या– ७४/२०१२ मेरे द्वारा किता की गई। जिसका अपराध संख्या– ३१९/२०१२ बनाम योगेश धारा २५ आयुध अधिनियम है। चिक एफ०आई०आर० मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर प्रदर्श क–३२ डाला गया। इस अभियोग का खुलासा मेरे ही द्वारा जी०डी० की रपट संख्या १६ समय १०.१० बजे मेरे ही द्वारा किया गया। जी०डी० की कार्बन प्रति पत्रावली पर कागज संख्या–७क है, जो मूल के साथ एक ही प्रक्रिया में तैयार की गई है। जो मूल के समान है, इसे मैं प्रमाणित करता हूँ। इस पर प्रदर्श क–३३ डाला गया। कांस्टेबिल अमर सिंह मेरे साथ थाना अलापुर में तैनात रहे हैं, उन्हें मैंने लिखते पढ़ते देखा है। मैं उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूँ। चिक एफ०आई०आर० ६२/२०१२ रूपचन्द्र व सुनील कुमार के विरूद्ध उपरोक्त कां० अमर सिंह द्वारा पंजीकृत की गई थी। कां० अमर सिंह की मृत्यु हो चुकी है। इस पर प्रदर्श क–३४ डाला गया। इस अभियोग का खुलासा उपरोक्त कां० अमर सिंह के द्वारा जी०डी० की रपट संख्या–३५ समय २३.५० पर किया गया। जी०डी० की कार्बन प्रति कागज संख्या–७क है जो मूल के साथ एक ही प्रक्रिया में तैयार की गई है। इस पर **प्रदर्श क–35** डाला गया।

२२— अभियोजन की ओर से **दस्तावेजी साक्ष्य** में तहरीर प्रदर्श क—१, मृतक राजवीर सिंह की पोस्टमार्टम आख्या प्रदर्श क—२, मृतक ओमकार की पोस्टमार्टम आख्या प्रदर्श क—३, मृतक राजवीर सिंह के पंचायतनामा से संबंधित प्रपत्र पंचायतनामा प्रदर्श क—४, फोटो नाश प्रदर्श क—५, नमूना मोहर प्रदर्श क—६, चालान नाश प्रदर्श क—७, चिट्ठी सी०एम०ओ० प्रदर्श क—८, मृतक ओमकार के पंचायतनामा से संबंधित प्रपत्र पंचायतनामा प्रदर्श क—९, फोटो नाश प्रदर्श क—१०, नमूना मोहर प्रदर्श क—११, चालान नाश प्रदर्श क—१२, चिट्ठी सी०एम०ओ० प्रदर्श क—१३, मु०अ०सं० २९४/२०१२, धारा २७/३० आयुध अधिनियम बनाम रूपचन्द शर्मा के अपराध से संबंधित प्रदर्श क—१४, मु०अ०सं० २९५/२०१२, धारा ३/२५ आयुध अधिनियम बनाम सुनील कुमार के अपराध से संबंधित प्रदर्श क—१५, अभियोजन अनुमति सरकार बनाम रूपचन्द्र शर्मा प्रदर्श क—१६, अभियोजन अनुमति सरकार बनाम सुनील कुमार प्रदर्श क—१७, आरोप पत्र विरूद्व रूप चन्द्र शर्मा धारा २७ /३० आयुध अधिनियम प्रदर्श क—१८, आरोप पत्र विरूद्व सुनील कुमार धारा ३/२५ आयुध अधिनियम प्रदर्श क—१९, धारा ३०२ भा०दं०सं० के अपराध से संबंधित चिक एफ०आई०आर० प्रदर्श क—२०, जी०डी० कायमी मुकदमा की प्रति प्रदर्श क—२१, फर्द बरामदगी लेने कब्जे पुलिस अभियुक्तगण के मकान की छत से छह खोखा कारतूस १२बोर प्रदर्श क—२२, मृतक/मजरूब राजवीर से संबंधित घटनास्थल से कब्जा पुलिस में ली गयी खूनालूदा मिट्टी व सादा की फर्द प्रदर्श क—२३, मृतक/मजरूब ओमकार से संबंधित घटनास्थल से कब्जा पुलिस में ली गयी खूनालूदा व सादा मिट्टी की फर्द प्रदर्श क—२४, फर्द बरामदगी आलाकत्ल एक तमंचा देशी १२बोर व एक खोखा कारतूस १२बोर अभियुक्त योगेश चन्द्र प्रदर्श क —२५, अभियुक्तगण रुपचन्द्र, सुनील, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द्र शर्मा व नेकसू उर्फ अनिल कुमार के विरूद्व प्रेषित आरोप पत्र प्रदर्श क—२६, धारा ३०२ भा०दं०सं० के अपराध से संबंधित घटनास्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क—२७, फर्द बरामदगी एक एसबीबीएल गन १२बोर व एक तमंचा देशी १२बोर नाजायज तथा कारतूस १२बोर एक खोखा कारतूस व गिरफ्तारी दो अभियुक्त रूपचन्द्र शर्मा व सुनील कुमार प्रदर्श क —२८, मु०अ०सं० ३१९/१२, धारा २५ आयुध अधिनियम के अपराध से संबंधित घटनास्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क—२९, अभियोजन अनुमति विरूद्व अभियुक्त योगेश चन्द्र प्रदर्श क —३०, आरोप पत्र विरूद्व योगेश चन्द्र धारा २५ आयुध अधिनियम प्रदर्श क—३१, धारा २५ आयुध अधिनियम बनाम योगेश चन्द्र के अपराध से संबंधित चिक एफ०आई०आर० प्रदर्श क—३२ व

जी०डी० कायमी मुकदमा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श क –३३, धारा २७/३० व ३/२५/२७ आयुध अधिनियम बनाम रूपचन्द्र शर्मा व सुनील के अपराध से संबंधित चिक एफ०आई०आर० प्रदर्श क–३४ व जी०डी० कायमी मुकदमा की प्रति प्रदर्श क–३५, संयुक्त निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला , उत्तर प्रदेश, आगरा की आख्या दिनांकित ३०–१०–२०१३ कागज संख्या १०६क/१, १०६/२ तथा अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद तमंचे, बन्दूक १२बोर मय जीवित कारतूस व प्रयोगशाला से Tested किये गये खोखा कारतूस वस्तु प्रदर्श–१ लगायत २६ को साबित कराया गया है।

२३– अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्तगण **सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द शर्मा, नेकसू उर्फ अनिल कुमार** का बयान अन्तर्गत धारा ३१३ दण्ड प्रक्रिया संहिता न्यायालय में लेखबद्ध किया गया। जिसमें अभियुक्तगण ने अपने बयान में कथित घटना व बरामदगी को गलत बताया व फर्जी बरामदगी दर्शाना कहा तथा साक्षी पी०डब्लू०१ के बयान के संबंध में झूठा बयान देना व फर्जी एफ०आई०आर० दर्ज कराना कहा तथा साक्षी पी०डब्लू०२ के बयान को गलत व झूठा बयान देना कहा तथा को गलत बताया तथा साक्षी पी०डब्लू०३ के बयान के संबंध में कहा कि पोस्टमार्टम करने में लापरवाही बरती गयी है तथा साक्षी पी०डब्लू०४ के बयान के संबंध में कहा है कि औपचारिकता निभाते हुए पुलिस कथानक के आधार पर कागजात बनाए हैं तथा साक्षी पी०डब्लू०५ के बयान के संबंध में कहा है कि बाद को पूर्व का समय डालकर झूठी रिपोर्ट दर्ज की है तथा साक्षी पी०डब्लू०६ के बयान के संबंध में कहा है कि निष्पक्ष विवेचना नहीं की व फर्जी बरादमगी दर्शायी है। अभियुक्तगण द्वारा मुकदमा रंजिश और गलतफहमी से चलाया जाना कहा तथा अन्य कथन में अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को निर्दोष बताया है। अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य में साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया गया।

२४– अभियुक्तगण की ओर से अतिरिक्त बयान ३१३ दं०प्र०सं० में साक्षी पी०डब्लू०७ के बयान के संबंध में कथन किया गया है कि निष्पक्ष विवेचना नहीं की गयी है व पी०डब्लू०८ के बयान के संबंध में कहा है कि झूठी बरामदगी दर्शायी गयी है व संयुक्त निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश आगरा की आख्या दिनांकित ३०–१०–२०१३ कागज संख्या १०६क/१, १०६क/२ के संबंध में कुछ कहने से इंकार किया तथा अन्य कोई कथन करने से व सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया है।

२५– अभियुक्तगण की ओर से बचाव में सफाई साक्ष्य में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची कागजात १०९क से आठ दस्तावेज १– नकल पी०डब्लू०१ साक्षी

लख्मीचन्द्र पुत्र सुन्दरलाल नि० नगरिया हरदास थाना अलापुर जिला बदायूँ , २–नकल पी०डब्लू०२ साक्षी रुपचन्द्र शर्मा पुत्र बाबूराम नि० नगरिया हरदास थाना अलापुर जिला बदायूँ, ३–नकल पी०डब्लू०३ कोमिल पुत्र मिट्ठूलाल नि० नगरिया हरदास थाना अलापुर जिला बदायूँ, ४–नकल पी०डब्लू०४ सुनील पुत्र रुपचन्द्र शर्मा नि० नगरिया हरदास थाना अलापुर जिला बदायूँ, ५–नकल वाद पत्र वाद संख्या १३५०/१२ वादिनी श्रीमती विमला देवी पत्नी रुपचन्द्र नि० नगरिया हरदास थाना अलापुर जिला बदायूँ, ६– नकल बयान २०० सीआर०पी०सी० वादिनी श्रीमती विमला देवी नि० नगरिया हरदास थाना अलापुर जिला बदायूँ , ७– नकल सम्पूर्ण ऑर्डर सीट दिनाँक ०७–०८–२०१२ से ०३–०९–२०२४ तक दाखिल किये गये हैं।

२६– मैनें अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया।

२७– राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में एक राय होकर घातक हथियारों से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव कर जान से मारने की नीयत से आग्नेयास्त्रों से फायर कर चोटें पहुंचाकर ओमकार व राजवीर की मृत्यु कारित कर हत्या की गयी तथा अभियुक्तगण द्वारा मौके पर बंधे चेतराम के बैल को गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर निरूपयोगी बनाकर रिष्टि कारित की गयी तथा वादी मोरपाल के भतीजे कमलेश को स्वेच्छया मारपीट कर साधारण चोटें पहुंचायी तथा वादी व उसके परिवारीजन को गंदी गंदी गालियां देकर अपमानित किया गया। दौरान विवेचना घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल आग्नेयास्त्र मय कारतूस व खोखा कारतूस अभियुक्तगण रूपचन्द्र, सुनील कुमार व योगेश चन्द्र के कब्जे से पुलिस द्वारा दौरान विवेचना बरामद किये गये हैं। जो अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य से साबित हैं। अभियुक्त रूपचन्द की विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है। साक्षी पी०डब्लू०१ वादी मुकदमा मोहरपाल व पी०डब्लू०२ वीरपाल घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हैं जिन्होंने अपनी साक्ष्य में अभियोजन कथानक की पुष्टि की है। इन साक्षीगण के साक्ष्य की पुष्टि घटना के संबंध में परीक्षित कराये गये अन्य साक्षीगण के साक्ष्य से व चिकित्सक साक्षी के साक्ष्य से होती है। मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने में किसी प्रकार का कोई बिलम्व नहीं है, जो भी बिलंव है वह साक्षीगण के साक्ष्य से स्पष्ट है। साक्षीगण के साक्ष्य से घटनास्थल साबित है तथा अभियोजन साक्षीगण द्वारा अभियुक्तगण की स्पष्ट पहचान की गयी है। जिससे

अभियुक्तगण का घटना में शामिल होना तथा घटना कारित करना पूर्णतया साबित है। अभियुक्तगण द्वारा राजवीर सिंह व ओमकार सिंह की हत्या करने का अभियोजन कथानक मौखिक तथा अभिलेखीय साक्ष्य द्वारा पूर्णतया साबित है। इस प्रकार विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

२८– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन कथानक गलत व झूठा है। अभियुक्तगण को रंजिशन झूठा फंसाया गया है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक शीघ्रता से दो घंटे के अंदर ही सोच विचार कर लिखायी गयी है जबकि घायलों को घटना के बाद उनके परिजनों द्वारा पहले थाना ले जाया गया है और उसके बाद जिला अस्पताल बदायूं ले जा गया है जहां डाक्टर द्वारा घायलों को मृत घोषित किया गया है जिसमें कम से कम चार घंट का समय लगना स्वाभाविक है। थाने पर जी०डी० को रोक कर रखा गया है और जैसे ही घायलों को मृत घोषित किया गया प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गयी है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट एन्टी टाइम है। जिससे अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है। तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य से घटनास्थल साबित नहीं है। अन्वेषण अधिकारी द्वारा जो नक्शा नजरी प्रस्तुत किया गया है, वह साक्षीगण की साक्ष्य से मेल नहीं खाता है। अभियोजन के तथ्य के साक्षीगण द्वारा अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता के संबंध में जो साक्ष्य दी गयी है उसमें गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन कथानक में घटना के समय गांव के अन्य लोगों को भी उपस्थित होना बताया गया है परन्तु उनको साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है। अभियुक्तगण सुनील कुमार व योगेश चन्द्र पर फर्जी बरामदगी दिखायी गयी है। बरामदगी का कोई जनसाक्षी भी नहीं है। अभियोजन द्वारा कथित आलाकत्ल बरामदगी के संबंध में जो साक्षीगण प्रस्तुत किये गये हैं, वे पुलिस कर्मी हैं, उनके साक्ष्य में घटना के तथ्यों के संबंध में गम्भीर विरोधाभास है जिससे बरामदगी संदिग्ध है। बैलेस्टिक रिपोर्ट से अभियुक्तगण से बरामद बताये गये आग्नेयास्त्र से गोली चलना साबित नहीं है। विवेचक द्वारा की गयी विवेचना में भारी त्रुटियां है। जिससे सम्पूर्ण अभियोजन कथानक सन्देह के घेरे में आ जाता है। अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्व मामला सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतया विफल रहा है। अभियुक्तगण ने कोई अपराध नहीं किया है। वे निर्दोष हैं। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए।

अभियुक्तगण की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित विधि

व्यवस्थायें प्रस्तुत की गयी हैं–

1– पातिराम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2003(1) क्राइम्स 422 बॉम्बे हाईकोर्ट (D.B.)

2– 2011(72) ACC 699 (सुप्रीम कोर्ट) सुनील कुमार शम्भुदयाल गुप्ता बनाम महाराष्ट्र राज्य

3– झिल्लर एवं अन्य बनाम स्टेट (इलाहाबाद हाईकोर्ट) क्रिमिनल अपील नम्बर 2354/1979

4– 2015(4) क्राइम्स 222 (SC) गोलवार हुसैन एवं अन्य बनाम असम राज्य एवं अन्य

5– विजय सिंह बनाम स्टेट ऑफ एम०पी० 2005 CRI. L. J.299

6– जुम्मा बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० (इलाहाबाद हाईकोर्ट)

7– स्टेट ऑफ यू०पी० बनाम बाबूराम एवं अन्य (इलाहाबाद हाईकोर्ट)

माननीय न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं का सम्मानपूर्वक परिशीलन किया गया।

२९– उभय पक्षों को सुनने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में धारा ३५४ दं०प्र०सं० में दिये गये प्राविधान के अनुसार निम्न अवधार्य बिन्दुओं का निर्धारण किया जाना है:–

१–क्या घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट बिलंव से लिखायी गयी है ?

२–क्या घटना का कोई हेतुक था ?

३–क्या घटना में कथित घटनास्थल पर अभियोजन कथानक के अनुसार घटना घटित हुई ?

४–क्या चिकित्सीय साक्ष्य से अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है ?

५–क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक १०–०५–२०१२ को समय करीब छह बजे शाम स्थान वहद ग्राम नगरिया हरदास, अंतर्गत थाना क्षेत्र अलापुर जिला बदायूं में सामान्य उद्धेश्य के अग्रसरण में एक राय होकर घातक हथियारों से सुसज्ञित होकर विधि विरूद्व जमाव कर जान से मारने की नीयत से आग्नेयास्त्रों से फायर कर चोटें पहुंचाकर ओमकार व राजवीर की मृत्यु कारित कर हत्या की गयी तथा अभियुक्तगण द्वारा मौके पर बंधे चेतराम के बैल को गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर निरूपयोगी बनाकर रिष्टि कारित की गयी तथा वादी मोरपाल के भतीजे कमलेश को स्वेच्छया मारपीट कर साधारण चोटें पहुंचायी तथा वादी व उसके परिवारीजन को गंदी गंदी गालियां देकर अपमानित किया गया और क्या अभियोजन अपने मामले को मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्व युक्तियुक्त सन्देह के परे साबित करने में

सफल रहा है?

६–क्या अभियुक्तगण सुनील कुमार व योगेश चन्द्र के विरूद्व लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा ३/२५ आयुध अधिनियम को अभियोजन युक्तियुक्त सन्देह के परे साबित करने में सफल रहा है ?

३०– उपरोक्त अवधार्य बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का पक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में परिशीलन किया गया।

३१– अभियोजन की ओर धारा १४७, १४८, ३०२ सपठित धारा १४९, ३२३ सपठित धारा १४९, ५०४ व ४२९ सपठित धारा १४९ भा०दं०सं० के अंतर्गत अपने मामले को साबित कराये जाने हेतु कुल आठ साक्षी परीक्षित कराये गये हैं। जिनमें साक्षी पी०डब्लू०१ वादी मोहरपाल व पी०डब्लू०२ वीरपाल तथ्य के चक्षुदर्शी साक्षी बताये गये हैं व शेष औपचारिक प्रकृति के साक्षी हैं।

३२– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन कथानक के अनुसार घटनास्थल से थाने की दूरी चार किमी० है घटना के बाद गवाहान द्वारा मृतकों को पहले थाने और उसके बाद जिला अस्पताल बदायूं ले जाया गया है थाना अलापुर और जिला बदायूं की दूरी लगभग २०किमी० रही होगी और घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट चिकित्सक द्वारा घायलों को मृत घोषित करने के बाद तहरीर देकर दर्ज करायी गयी है ऐसी परिस्थितियों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में लगभग चार घंटे का समय लगना स्वाभाविक था, परन्तु घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने पर लगभग दो घंटे में ही दर्ज हो गयी है जिससे यह प्रतीत होता है कि संबंधित थाने पर जी०डी० रोक कर रखी गयी है और चिकित्सक द्वारा घायलों को मृत घोषित होने के बाद तहरीर दर्ज कर दी गयी है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दो घंटे में अत्यधिक शीघ्रता से दर्ज हुयी है जो प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियेाजन कथानक का अत्यधिक सन्देहास्पद बना देता है। जब कि राज्य पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में कोई अवैधानिकता नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में न कोई बिलम्व कारित हुआ है और न ही कोई ऐसी शीघ्रता दर्शित होती है जिससे प्रथम सूचना रिपोर्ट एन्टी टाइम अथवा संदिग्ध मानी जा सके।

३३– उपरोक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार घटना दिनांक १०.०५.२०१२ समय शाम लगभग ०६.०० बजे की है, जिसकी रिपोर्ट लगभग दो घंटे बाद दिनांक १०.०५.२०१२ को २०.१० बजे थाना अलापुर, बदायूं पर दर्ज करा दी गयी है। चूँकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–२० के अनुसार घटनास्थल से थाने की दूरी लगभग ०४ किमी० दर्शायी गयी है, घटनास्थल वाहद ग्राम नगरिया हरदास, थाना अलापुर, जिला बदायूं का बताया गया है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक शीघ्रता से लगभग दो घंटे में दर्ज करा दी गयी है। घटना गांव नगरिया हरदास की बतायी गयी है तथा वादी मोहरपाल पी०डब्लू०१ के साक्ष्य के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा नाजायज तमंचो व बन्दूक से वादी पक्ष पर जान से मारने के इरादे से फायर करने जिससे वादी के पिता ओमकार व भाई को फायर की चोटें लगने तथा अपने घायल पिता व भाई को तांगा गाड़ी से थाना अलापुर लाने तथा थाने द्वारा इनकी गम्भीर स्थिति को देखते हुए मजरूबी चिट्ठी देकर जिला अस्पताल बदायूं इलाज को भेजने जहां डाक्टरों द्वारा दोनों को मृत घोषित करने और तभी उसके द्वारा इस घटना की तहरीर अपने गांव के नेत्रपाल से लिखवाकर थाना अलापुर में दीवानजी को देकर मुकदमा कायम कराना कहा गया है। अतः साक्षी पी०डब्लू०१ वादी मोहरपाल के साक्ष्य से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में उसके सामने उसके पिता व भाई के गोली लगी है और वह अपने पिता ओमकार व भाई राजवीर को तांगा गाड़ी से थाना अलापुर लाया जहां थाने वालों ने पिता व भाई की गम्भीर स्थिति को देखते हुए इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया जहां डाक्टरों ने ओमकार व राजवीर को मृत घोषित कर दिया तब वादी द्वारा इस घटना की तहरीर थाना अलापुर पर रिपोर्ट लिखायी गयी है। उक्त कार्यवाही में दो घंटे का समय लगना अत्यन्त स्वाभाविक है। ऐसी दशा में प्रथम सूचना रिपोर्ट को अत्यधिक शीघ्रता से दर्ज मानना त्रुटि ही होगी। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में न कोई बिलम्व कारित हुआ है और न ही ऐसी कोई शीघ्रता दर्शित होती है जिससे घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में कोई अवैधानिकता प्रकट होती हो। घटना की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–२०, नकल जी०डी० कायमी मुकदमा प्रदर्श क–२१, नक्शा नजरी घटनास्थल प्रदर्श क–२७ , पंचायतनामा प्रदर्श क–४ व प्रदर्श क–९ आदि सभी दस्तावेजों पर मुकदमा अपराध संख्या २९३/१२, धारा १४७, १४८, १४९, ३२३, ३०२, ५०४, ४२९ भा०दं०सं० दर्ज है तथा घटना की दिनांक १०.०५.१२ समय ०६.०० बजे शाम और रिपोर्ट दिनांक १०.०५.१२ समय २०.१० बजे अंकित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि तहरीर प्रस्तुत हो जाने के उपरांत नियमानुसार मुकदमा कायम किया गया जो यह इंगित

करता है कि न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में कोई अवैधानिकता है तथा न ही घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट एन्टी टाइम है। घटना के साक्षी पी०डब्लू०१ वादी मोहरपाल ने न्यायालय में किये गये अपने कथन में इस तथ्य की पुष्टि की है। इस प्रकार बचाव पक्ष के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक शीघ्रता से दर्ज करायी गयी हो अथवा एन्टी टाइम हो।

३४– अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सामान्यतया घटना में घायल हुए व्यक्तियों के परिजन द्वारा उनको प्राथमिक उपचार दिलाया जाता है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में घायलों के परिजनों द्वारा अथवा पुलिस अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम चुटैलों को प्राथमिक उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं ले जाया गया है और जिला अस्पताल में चुटैलों का चिकित्सक द्वारा परीक्षण किये जाने तक कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुयी थी जिससे भी अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन कथानक व साक्ष्य के अनुसार घायलों को गोली लगी थी और उनकी अवस्था अत्यधिक गम्भीर थी जिसका प्राथमिक उपचार गांव में स्थानीय स्तर पर अथवा पी०एच०सी०/सी०एच०सी० पर मिलना सम्भव नहीं रहा होगा और परिजनों द्वारा तत्काल घायलों को थाने से जिला अस्पताल बदायूं ले जाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरण में सर्वप्रथम परिजनों द्वारा घायलों को चिकित्सीय सुविधा प्रदान कराये जाने हेतु जिला अस्पताल बदायूं ले जाया गया है तत्पश्चात चिकित्सक द्वारा घायलों को मृत घोषित करने के बाद वादी मुकदमा द्वारा घटना की तहरीर देकर थाना अलापुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिक अथवा अनियमितता नहीं है जिससे अभियोजन कथानक संदिग्ध होता हो। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में यह न्यायालय बचाव पक्ष के उपरोक्त तर्क में कोई बल नहीं पाता है।

३५– जहां तक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाये गये इस तर्क का संबंध है कि किस अभियुक्त द्वारा किया गया फायर किस मृतक के लगा यह तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। न ही यह तथ्य अंकित है कि गवाहान घटना के समय गोलियों की आवाज सुनकर मौके पर आये अथवा पहले से ही मौजूद थे। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि घटना में दो व्यक्तियों की हत्या हुयी है और वादी जो कि मृतकों का पुत्र व भाई है, द्वारा घटनास्थल से थाना व थाने से अस्पताल ले जाया गया है जहां उनको मृत घोषित किया गया है और उसके बाद थाने जाकर रिपोर्ट

लिखायी गयी है, ऐसे में वादी से यह अपेक्षित किया जाना कि वह घटना के समस्त तथ्यों, किसका फायर किस मृतक के लगा आदि का उसमें समावेश करे, न्यायोचित नहीं होगा। न्यायिक विधि व्यवस्था **ए०आई०आर० २०१३ एस०सी०१४७ यू०पी० राज्य बनाम मुनेश** के पैरा–१३ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एनसाइक्लोपीडिया नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी घटना के घटित होने के संबंध में एक सूचना है और जिसमें कि घटना के समस्त तथ्यों का समावेश किया जाना आवश्यक नहीं है। वैसे भी प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी पी०डब्लू०१ वादी मुकदमा मोहरपाल व पी०डब्लू०२ वीरपाल के साक्ष्य से स्पष्ट है कि घटना के समय अभियुक्तगण सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, येागेश चन्द्र व नेकसू द्वारा तमंचों से व अभियुक्त रूपचन्द्र द्वारा अपनी लाइसेंसी बन्दूक से फायरिंग करना कहा गया है, ऐसे में मौके पर मौजूद परिवारीजन आदि फायर से बचने का प्रयास करते हैं और इन परिस्थितियों में गवाहान से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह यह देख सके कि किस अभियुक्त का फायर किसके लगा है। अतः न्यायालय बचाव पक्ष के उक्त तर्क में कोई बल नहीं पाता है।

३६– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पी०डब्लू०१ एवं पी०डब्लू०२ हितबद्ध साक्षीगण हैं, जिनकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिये। जबकि राज्य पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि साक्षीगण पी०डब्लू०१ व पी०डब्लू०२ मृतकों के सगे संबंधी हैं, परन्तु साक्षीगण पी०डब्लू०१ वादी मुकदमा है एवं पी०डब्लू०२ प्राकृतिक साक्षी है, जिनकी साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

३७– इस सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा स्थापित विधि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मसलती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए०आई०आर० १९६५ सुप्रीम कोर्ट पेज–२०२ व मलन्ना बनाम कर्नाटक राज्य २००७ वॉल्यूम सं० ८ एस०सी०सी० पेज–५२३ व कुलेशमण्डल बनाम बंगाल राज्य २००७ वॉल्यूम सं०८ एस०सी०सी० पेज ५७८ व जयावेन बनाम पाण्डिचेरी राज्य २०१० वॉल्यूम सं० ६८ ए०सी०सी० पेज ३०८** आदि अन्य विधि व्यवस्थाओं में यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि किसी साक्षी का हितबद्ध या सम्बन्धी साक्ष्य होना उस साक्षी के साक्ष्य को अस्वीकार किये जाने का आधार न होगा, परन्तु ऐसे साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन गहनता से किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में न्यायालय

द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि साक्षी पी०डब्लू०१ मृतक ओमकार का पुत्र व मृतक राजवीर सिंह का सगा भाई है तथा पी०डब्लू०२ भी मृतक ओमकार का पुत्र व मृतक राजवीर सिंह का सगा भाई है। पी०डब्लू०१ मोहरपाल व पी०डब्लू०२ वीरपाल ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। साक्षीगण की मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जिससे कि उनकी साक्ष्य पर विश्वास न किया जा सके तथा यह भी साबित नहीं होता है कि साक्षीगण का साक्ष्य असत्य तथा अस्वाभाविक हो तथा उस पर अविश्वास किये जाने का भी कोई आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में न्यायालय के अभिमत में केवल हितबद्ध साक्षी होने के आधार पर साक्षी पी०डब्लू०१ व २ का साक्ष्य अस्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। बचाव पक्ष का अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य को अस्वीकार किये जाने का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। सभी साक्षीगण का साक्ष्य ग्राह्य है।

३८– अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना का कोई हेतुक नहीं था। अभियोजन द्वारा घटना का कोई हेतुक साबित नहीं किया गया है। वादी द्वारा उन्हें रंजिशन व गलतफहमी में फंसाया गया है। हेतुक को साबित न कर पाने का प्रभाव अभियुक्तगण के विरूद्ध मामले को साबित नहीं कर पाता है। इसके विपरीत राज्य पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मामला प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य का है, जिसमें हेतुक को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। साक्षीगण पी०डब्लू०१ व २ घटना के चक्षुदर्शी साक्षी है, जिनकी साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। वैसे इस मामले में अभियोजन साक्ष्य में घटना वाले दिन वादी मुकदमा के छोटे भाई कमलेश द्वारा मुल्जिम रूपचन्द्र शर्मा के मन्दिर के पास खड़े आम के पेड़ो से अमिया तोड़ लेने को लेकर दिन के बारह–एक बजे के लगभग उभय पक्ष के मध्य विवाद होना कहा गया है व इसी विवाद के चलते उसी दिन शाम के छह बजे अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने का हेतुक साबित है।

३९– पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा अभियुक्तगण व राज्य पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में वादी पक्ष के परिजन कमलेश द्वारा अभियुक्त पक्ष के आम के पेड़ों से दिन के समय अमिया तोड़ने को लेकर हुए विवाद के फलस्वरूप शाम के छह बजे के लगभग अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित कर ओमकार व राजवीर सिंह की हत्या किये जाने का हेतुक बताया गया है तथा साक्षी पी०डब्लू०१ वादी मोहरपाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसके छोटे भाई कमलेश ने मुल्जिम रूपचन्द्र शर्मा के मंदिर के पास खड़े आम के पेड़ों से कुछ अमियाँ तोड़ ली थी तभी रूपचन्द्र ने अमिया

तोड़ते पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट करते हुए उलाहना देने को उसके घर पर रूपचन्द्र आये और उसके सामने गंदी–गंदी गालियाँ देते हुए उसके बाबा चुन्नीलाल से कहने लगे कि तुम अपने नाती को समझा लो कि वह मेरे पेड़ों से अमिया न तोड़े नहीं तो हम कमलेश को छोड़कर तुम्हें मारेंगे। तभी उसने व उसके बाबा ने रूपचन्द्र को गाली देने को मना किया तभी रूपचन्द्र अपने मंदिर पर चले गए। यह बात दिन के १२–१ बजे की है। साक्षी पी०डब्लू०२ वीरपाल ने सशपथ अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि अब से करीब २ साल डेढ़ महीने पहले की बात है। मैं खेत पर काम करने गया था। शाम के समय मैं घर आया तो मैंने सुना कि मेरा छोटा भाई कमलेश करीब दो बजे दिन रूपचन्द्र के पेड़ से आम तोड़ लिए थे, जिसकी रूपचन्द्र ने मेरे दादा चुन्नी लाल से शिकायत की और गाली–गलौंज किया। मुल्जिमान से हमारी व हमारे परिवार की कोई रंजिश नहीं थी। बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत बचाव साक्ष्य में परिवाद संख्या ३७५५/२०१६, विमला बनाम ओमकार आदि, धारा १४७, १४८, १४९, ३२३, ३२५, ५०४, ५०६ भा०दं०सं०, थाना अलापुर, जिला बदायूं के आदेश पत्रों, परिवाद पत्र, बयानों की नकलें दाखिल की गयी हैं जिसके अवलोकन से भी प्रस्तुत मामले की घटना से पूर्व ओमकार(मृतक) के पुत्र कमलेश द्वारा आम के पेड़ों से आम तोड़ने को लेकर उभय पक्ष के मध्य विवाद होना दर्शित होता है तथा अभियुक्तगण ने अपने बयान ३१३ दं०प्र०सं० में रंजिश व गलतफहमी से झूठा फंसाया जाना कहा है। इस प्रकार मुल्जिम पक्ष के आम के पेड़ों से अमिया तोड़ने को लेकर हुए विवाद के परिणामस्वरूप अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने का हेतुक बताया गया है, किन्तु न्यायालय का यह स्पष्ट अभिमत है कि मामला प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य का है। प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के मामले में स्थापित विधि व्यवस्था के अनुसार अभियोजन को हेतुक को साबित किये जाने की आवश्यकता नहीं है और यदि अभियोजन हेतुक को साबित नहीं भी कर पाता है तो भी अभियोजन कथानक को साबित नहीं माना जा सकता है, क्योंकि किसी मामले को कारित करने का अभियुक्तगण का क्या आशय था, यह आशय विशेष रूप से अभियुक्तगण की ही निजी जानकारी में रहता है। ऐसा तथ्य जो केवल अभियुक्तगण की ही जानकारी में हो, उसको अभियोजन से साबित करने की बाध्यता नहीं की जा सकती और केवल उसी कारण से अभियोजन कथानक को न साबित भी नहीं माना जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अबू फकीर बनाम स्टेट ए०आई०आर० २०१० सुप्रीम कोर्ट २०११** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य उपलब्ध हो, वहां हेतुक का प्रश्न महत्वहीन हो जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

शिवराज बापुराम जादव आदि बनाम कर्नाटक राज्य २००३(२) में पैरा ६ में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "In a case which turns on direct evidence, the motive element does not play such an important role as to cast any doubt on the credibility of the prosecution witness even if there be any doubt raised in this regard." इस कारण किसी स्पष्ट हेतुक को साबित न करने के कारण अभियोजन कथानक संदेहास्पद नहीं हो जाता है। इस प्रकार अभियुक्तगण का तर्क स्वीकार होने योग्य नहीं है।

४०– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया गया है कि साक्षी पी०डब्लू०१ व २ मृतकों के सगे संबंधी हैं, परन्तु घटना के समय उनके द्वारा मृतकों को बचाये जाने का कोई प्रयास न किया जाना अथवा कोई प्रतिरोध न किया जाना, न ही अभियुक्तगण द्वारा की गयी फायरिंग में उनको कोई चोटें ही कारित होना, मामले को व उनकी उपस्थिति को संदिग्ध बना देता है। बचाव पक्ष द्वारा उठाये गये उक्त तर्क के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया गया। साक्षी पी०डब्लू०१ वादी मोहरपाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण के पास लाइसेंसी बंदूक व तमंचे होना व घटना के समय जान से मारने के इरादे से फायरिंग करने का जिसमें उसके पिता व भाई के फायर लगने से घायल होने व उनको तांगा गाड़ी से थाना व अस्पताल ले जाने का कथन किया गया है। उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पेज–१५ पर कथन किया है कि जिस समय गोली चली उस समय टीले पर चुटैलों और गवाहान के अलावा गांव के चार–छह लोग थे, परन्तु हमारे व गांववालों के चोट नहीं लगी। इस बाबत साक्षी पी०डब्लू०२ वीरपाल ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण के पास बन्दूक व तमंचे नाजायज होना व अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की नीयत से किये गये फायर उसके पिता व भाई के लगने तथा घायल पिता व भाई को तांगे में डालकर थाना व अस्पताल ले जाना कहा गया है। उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पेज–१४ पर कहा है कि जब गोली चली तब मैं राजवीर से दस कदम पीछे और ओमकार से बीस कदम पीछे था। मोरपाल मेरे बराबर था। मेरे व मोरपाल के घटना में कोई चोट नहीं आयी। अभियोजन साक्षीगण के उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना में उनके पिता व भाई को फायर की चोटें आयी हैं, परन्तु साक्षीगण के घटना में फायरिंग की चोटें न आने से अभियोजन कथानक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, न ही इसमें कोई अवैधानिकता है। घटना के समय अभियुक्तगण तमंचों व बन्दूक जैसे घातक हथियारों से सुसज्जित थे और उनके द्वारा घटना के समय आग्नेयास्त्रों से फायरिंग की

गयी है, ऐसे में साक्षीगण द्वारा घटना के समय किसी प्रकार का प्रतिरोध न करना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसा कोई प्रयास उनकी जान के लिए जोखिम भरा हो सकता था और साक्षीगण द्वारा तत्समय जो प्रयास किया जा सकता था वह उनके द्वारा करते हुए तुरन्त घायलों को तांगा से थाना व अस्पताल ले जाया गया है। यह न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के अवलोकन उपरान्त बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाये गये उक्त तर्क में भी कोई बल नहीं पाता है।

४१– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कथित घटनास्थल पर अभियोजन कथानक के अनुसार घटना घटित नहीं हुयी। अभियोजन साक्ष्य से घटनास्थल संदिग्ध है। साक्षीगण के साक्ष्य में घटनास्थल के संबंध में विरोधाभास है। जबकि राज्य पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा यह तर्क दिया गया कि घटनास्थल का समर्थन अभियोजन साक्षीगण पी०डब्लू०१ वादी मुकदमा मोहरपाल व पी०डब्लू०२ वीरपाल के बयानों से पूर्णरूप से होता है।

४२– उपरोक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी पी०डब्लू०१ मोहरपाल की ओर से प्रस्तुत तहरीर प्रदर्श क–१ में घटनास्थल अपने गांव अर्थात ग्राम नगरिया हरदास का बताया है व घटना के समय घटनास्थल पर ही बंधे चेतराम पुत्र केवल के बैल के भी गोली लगना कहा है। इसी आशय का अंकन घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–२०, नकल जी०डी० कायमी मुकदमा प्रदर्श क–२१ में किया गया है। घटनास्थल का नक्शा नजरी, जिसे अन्वेषण अधिकारी साक्षी पी०डब्लू०६ सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक दिनेश चन्द्र यादव ने प्रदर्श क –२७ के रूप में साबित किया है, में घटना का स्थल गांव नगरिया हरदास में चिन्ह–ए से मृतक राजवीर के गोली लगने व चिन्ह–बी से मृतक ओमकार के गोली लगने व गिरने से खून बहने के स्थान को दर्शाया गया है तथा चिन्ह–सी से वह स्थान दर्शित किया गया है जहां पर दोनों पक्षों में चेतराम के मकान के आंगन के सामने गाली गलौज व लाठी डन्डों से मारपीट होना बताया गया है तथा चिन्ह–डी से वह स्थान दर्शाया गया है जहां से कच्चे मकान की दीवार की आड़ लेकर अभियुक्तगण द्वारा बारी बारी से फायर करना बताया गया है तथा चिन्ह–डी से वह स्थान छत व गैलरी जहां पर से खोखा कारतूस प्राप्त किये गये व चिन्ह–ई से पिछवाड़ा की दीवार मृतक ओमकार जहां ११रददा नीचे दीवार में गोली लगी व ईंट टूट गई का निशान बना है, दर्शित किया गया है तथा चिन्ह–एफ से वह स्थान जहां चेतराम का बैल नांद पर बंधा था और उसके गोली लगना दर्शाया गया है ।

इसके अतिरिक्त विवेचक द्वारा घटनास्थल के नक्शा नजरी में अभियुक्तगण व मृतकों के आने का रास्ता तथा अभियुक्तगण का अपने घर को वापस जाने का रास्ता तथा मय असलाहों के छत पर चढ़ने व फायर करने का स्थान भी दर्शित किया गया है और मृतकों ओमकार व राजवीर के गोली लगने के स्थान व अभियुक्तगण द्वारा छत से फायर करने के स्थान की दूरी को भी नक्शा नजरी घटनास्थल में दर्शित किया गया है। साक्षी पी०डब्लू०१ वादी मोहरपाल व पी०डब्लू०२ वीरपाल ने अपने–अपने सशपथ साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में घटनास्थल ग्राम नगरिया हरदास अंतर्गत थाना क्षेत्र अलापुर, जिला बदायूं में चेतराम के घर के पास का बताया है व घटना के समय ही अभियुक्तगण द्वारा भागकर अपनी छत पर चढ़कर फायरिंग किये जाने का भी कथन किया है। इन साक्षीगण के सम्पूर्ण साक्ष्य में कोई ऐसा प्रतिकूल कथन प्राप्त नहीं हुआ जिससे कि यह माना जा सके कि कथित घटनास्थल पर घटना न घटित हुयी हो।

४३– पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक तथा प्रलेखीय साक्ष्य द्वारा घटनास्थल ग्राम नगरिया हरदास चेतराम के मकान के पास का होना पूर्णतया साबित है। बचाव पक्ष के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि घटनास्थल के संबंध में साक्षीगण के साक्ष्य में विरोधाभास है तथा अभियोजन कथानक के अनुसार बताये गये घटनास्थल पर अभियोजन कथानक के अनुसार कोई घटना घटित न हुई हो।

४४– जहां तक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाये गये इस तर्क का संबंध है कि प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा दौरान विवेचना चक्षुदर्शी साक्षियों के बयान घटना के तुरन्त पश्चात शीघ्रता से अंकित न करके काफी बिलम्व से अंकित किये गये है, घटनास्थल पर गवाहान द्वारा जिस स्थान से घटना को देखा गया है, उस स्थान को एवं मृतकों व गवाहान के बीच की दूरी कितनी थी, नक्शा नजरी में दर्शित नहीं किया गया है, न ही शव पड़े होने वाले स्थल से कोई छर्रा टिकली या बुलेट बरामद होना दर्शित किया गया है, न ही वादी मोरपाल के मकान को दर्शित किया गया है, घटना के समय जिस छत से फायर होना बताया गया है उसकी कोई ऊंचाई नक्शा नजरी में दर्शित नहीं की गयी, न ही उस आम के बाग का कोई उल्लेख जिसमें आम तोड़ने को लेकर विवाद हुआ है, न तांगा बुग्गी जिससे घायलों को ले जाया गया है, का कोई निरीक्षण किया गया है, घटनास्थल से कब्जे में ली गयी मिट्टी सादा व खून आलूदा के संबंध में कोई परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे घटना संदिग्ध हो जाती है। न्यायालय का यह मत है कि विवेचना में अन्वेषण अधिकारी द्वारा की गयी किसी तकनीकी त्रुटि के कारण अभियोजन कथानक को नकारा नहीं जा सकता है। ऐसी दशा

में विशेषकर जबकि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य द्वारा घटना की पुष्टि होती हो। न्यायिक विधि व्यवस्था **हेमा बनाम स्टेट २०१३(८१) ए०सी०सी०१ (एस०सी०) थ्री जजिस बेंच** एवं **ए०आई०आर० २०१२ एस०सी० ३१३४ काशीनाथ मण्डल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य पैरा–१३** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि जहां पर मौखिक साक्ष्य विश्वसनीय प्रकृति का है तो उस स्थिति में अन्वेषण अधिकारी द्वारा विवेचना में की गयी कमियों के कारण सम्पूर्ण अभियोजन कथानक तिरस्कृत नहीं किया जा सकता है। न्यायिक विधि व्यवस्था **गुलजारी लाल बनाम हरियाणा राज्य (२०१६)२ एस०सी०सी० (सीआरआई०) ३२५** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि विवेचक द्वारा घटनास्थल से मृतक के खून से सने कपड़े आदि एकत्रित नहीं किये गये हैं तो इससे यह नहीं माना जायेगा कि घटनास्थल पर गवाहों के बताये अनुसार कोई घटना नहीं घटी है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि कथित फायरिंग की घटना बारह फिट ऊंचे स्थान से किया जाना तथा घटनास्थल के नक्शा नजरी में चुटैलों से फायर करने वाले स्थान की दूरी ३० कदम व ५० कदम दर्शित की गयी है ऐसे में घटना में प्रयुक्त बताये गये देशी पिस्टल से इतनी दूरी से किये गये फायरों की चोटें चुटैलों को आना सम्भव नहीं है। जिससे भी अभियोजन कथानक संदिग्ध होता है। यह न्यायालय बचाव पक्ष के उपरोक्त तर्क में कोई बल नहीं पाता है क्योंकि व्यक्तियों के कदमों की नाप अलग–अलग होती है और इसका कोई विशेष मापक नहीं है मात्र एक अन्दाज है। ऐसे में मात्र कदमों के आधार पर नापी गयी दूरी के आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को नहीं नकारा जा सकता है।

४५– उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस अभिमत का है कि कथित घटनास्थल पर अभियोजन कथानक के अनुसार घटना घटित हुई।

४६– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चिकित्सीय साक्ष्य से अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं होती है। चिकित्सीय साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य का विरोधी है जो अभियोजन कथानक को संदिग्ध बना देता है। जबकि विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मृतकों राजवीर सिंह व ओमकार को घटना में आग्नेयास्त्रों से किये गये फायर की गोली की चोटें व लाठी डन्डों की चोटें आयी है। जिससे उनकी की मृत्यु हुयी। मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आग्नेयास्त्र के घुसने व निकलने की चोट सीने पर पायी गयी है। चिकित्सीय साक्ष्य से अभियोजन कथानक व अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य की

पुष्टि करती है।

४७– इस संबंध में अभियोजन की ओर पी०डब्लू०३ के रूप में पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डा० आर०एस० यादव को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि दिनांक–११–०५–२०१२ को मैंने मृतक राजवीर सिंह पुत्र स्व० ओमकार निवासी नगरिया हरदासपुर, थाना–अलापुर, जिला–बदायूँ के शव का शवविच्छेदन समय ४ बजकर १५ पी०एम० पर किया था। मृतक के मृत्युपूर्व निम्न चोटें पायी गयीं–

१– फटा हुआ घाव ६ X १ से०मी० के आकार का सिर पर दाहिनी ओर जो कि दाहिने कान से १० से०मी० ऊपर तथा हड्डी तक गहरा था।

२–आग्नेयास्त्र के घुसने का घाव १० X ६ से०मी० के आकार का दाहिनी भुजा पर अंदर की ओर तथा दाहिनी छाती पर बाहर की ओर था, जो कि दाहिना बगल से ४ सेमी० नीचे था। कालर ऑफ आवरेजन प्रजेंट।

३–एक खरोंच १.५ X १सेमी० के आकार का दाहिनी जांघ पर जो कि दाहिने घुटने से २ से०मी० ऊपर थी।

४–आग्नेयास्त्र के निकलने का घाव १ X १ से०मी० के आकार का दाहिनी छाती पर पीछे की ओर जो कि सीधे स्केपुला इनफिरियर एंगल से ६ से०मी० नीचे था।

५– आग्नेयास्त्र के निकलने का घाव १से०मी० X १ से०मी० के आकार का दाहिनी छाती पर पीछे की ओर जो कि दाहिनी स्केपुला के इनफिरियर एंगल से १५ से०मी० नीचे था।

चिकित्सक साक्षी की राय में मृत्यु का कारण सदमा व अत्यधिक रक्तस्राव था, जो कि मृत्युपूर्व आयी फायर आर्म्स इंजरी का परिणाम था। मृतक के मृत्युपूर्व लाठी–डंडो व फायरों की चोटें पायी गयीं। यह चोटें दिनांक –१०–०५–२०१२ की शाम छः बजे आना संभव है। राजवीर के पी०एम० में भूलवश ऊपरी हिस्से में ११–०५–११ अंकित हो गया है, जबकि पी०एम० के अंत पर दो स्थान पर ११–५–१२ मेरे द्वारा अंकित किया गया है।

आगे उक्त साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसी दिन मैंने समय ३ बजकर २५ पी०एम० पर मृतक ओमकार पुत्र चुन्नी लाल निवासी ग्राम नगरिया हरदासपुर थाना अलापुर बदायूँ के शव का शव विच्छेदन किया था। मृतक के मृत्युपूर्व निम्न चोटें पायी गयी–

१– आग्नेयास्त्र का घाव ३ X १ से०मी० के आकार का सिर पर दाहिनी ओर जो कि

दाहिनी भौं से ६ सेमी० ऊपर था। हड्डी तक गहरा था। कालर आफ आवरेजन मौजूद था। जो अण्डे के आकार का था, जो होरीजेंटल था।

२– फटा हुआ घाव २ से०मी० X १ से०मी० के आकार का सिर पर बांयी ओर जो कि चोट नंबर १ से २ से०मी० पीछे की ओर था।

३– आग्नेयास्त्र के घुसने का आकार ३ X ३ से०मी० के आकार का छाती पर दाहिनी ओर जो निपिल से १४ से०मी० ऊपर था क्लेविक हडडी से नीचे था। गुहा तक गहरा था, कालर आफ एवरेजन मौजूद था।

४–आग्नेयास्त्र निकलने का घाव १ X १ से०मी० के आकार का दाहिनी छाती पर पीछे की ओर जो कि दाहिने कंधे के टॉप से ११ से०मी० नीचे था तथा चैस्ट वाल की कैविटी से एक मैटेलिक पीस बरामद किया था।

५– आग्नेयास्त्र से निकलने का घाव १.५ X १ से०मी० के आकार का दाहिनी छाती पर पीछे की ओर जो कि दाहिने कंधे के टाप से १५ से०मी० नीचे था।

६– फटा हुआ घाव २ X १ से०मी० के आकार का बांयी अग्रवाहु पर पीछे की ओर जो कि कोहनी से ५ से०मी० नीचे था तथा मांसपेशी तक गहरा था।

७– फटा हुआ घाव २ X १ से०मी० के आकार का बांयी अग्रवाहु पर पीछे की ओर जो कोहनी से ८ सेमी० नीचे तथा मांसपेशी तक गहरा था।

८– एक खरोंच १.५ X १ से०मी० के आकार का बांयी अग्रवाहु पर जो कलाई से ३ से०मी० ऊपर था।

९– एक खरोंच ६ X ३ से०मी० के आकार की बांये घुटने पर मौजूद थी।

१०– एक खरोंच ५ से०मी० x २ से०मी० के आकार की दाहिने घुटने पर।

चिकित्सक साक्षी की राय में मृत्यु का कारण सदमा व अत्यधिक रक्तस्राव था, जो कि मृत्युपूर्व आयी आर्म्ड फायर इंजरी का परिणाम था। मृतक के शरीर पर लाठी–डंडे व फायरों की चोटें पायी गयीं। चोटें कुंद आले व सख्त वस्तु की रगड़ से आना संभव थी। यह चोटें १०–०५–१२ की शाम छः बजे आना संभव है। फायरों की चोटें मृत्यु के लिए पर्याप्त थी।

४८– इस प्रकार इस साक्षी ने मृतकों राजवीर सिंह व ओमकार की पोस्टमार्टम आख्या को क्रमशः प्रदर्श क–२ व प्रदर्श क–३ के रूप में साबित किया है। इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतकों राजवीर सिंह व ओमकार के शरीर के मर्मस्थल सीने पर आग्नेयास्त्र के घुसने व निकलने के घाव की चोट व लाठी–डन्डों से की गयी मारपीट की चोट पायी गयी है। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में कोई ऐसा तथ्य नहीं आया है जिससे

कि उसके मुख्य परीक्षा के कथनों को नकारा जा सके। मृतक राजवीर सिंह का पंचायतनामा प्रदर्श क–४ व मृतक ओमकार का पंचायतनामा प्रदर्श क–९, जिसे साक्षी पी०डब्लू०४ राजेश यादव थानाध्यक्ष ने साबित किया है, में मृतक राजवीर सिंह के सिर के ऊपर चोट खून आलूदा कोहनी के ऊपर खून आलूदा, दाहिंनी वगल के नीचे चोट खून आलूदा, दाहिंने घुटने के ऊपर खुरचट, दांहिनी तरफ पीछे की जगह गोली पार निकलने का निशान खून आलूदा चोट होने का उल्लेख है तथा उसकी गोली मारकर हत्या किया जाना राय पंचान में दर्शित है। इसके अतिरिक्त मृतक ओमकार के पंचायतनामा में मृतक ओमकार के दाहिंने कन्धे पर पीछे की ओर पीठ पर दाहिंनी ओर निशान चोट खून आलूदा, दाहिंने कन्धे के पास सामने की ओर छाती की दाहिंनी ओर निशान चोट खून आलूदा का उल्लेख है तथा उसकी गोली मारकर हत्या किया जाना राय पंचान में दर्शित है। अभियोजन कथानक व अभियोजन साक्ष्य में भी अभियुक्तगण के पास तमंचे व बन्दूक होना व राजवीर सिंह व ओमकार को आग्नेयास्त्रों से किये गये फायर की गोली लगने का तथ्य आया है और चिकित्सक द्वारा भी शव विच्छेदन के समय उक्त मृत्युपूर्व आयी चोटों के कारण मृतक राजवीर सिंह व ओमकार की मृत्यु होना बताया गया है। अभियोजन कथानक व अभियोजन साक्षीगण पी०डब्लू०१ व पी०डब्लू०२ साक्ष्य में भी अभियुक्तगण के पास तमंचे व बन्दूक होना तथा राजवीर सिंह व ओमकार को लाठी–डन्डों से मारपीट कर व आग्नेयास्त्रों के फायर मारकर चोटें पहुंचाने का तथ्य आया है और चिकित्सक द्वारा भी शव विच्छेदन के समय मृतक राजवीर सिंह व ओमकार की मृत्यु, मृत्युपूर्व आग्नेयास्त्रों से आयी चोटों से उत्पन्न शाक एण्ड हैम्रेज के कारण होना बताया गया है। इस प्रकार अभियोजन कथानक की पुष्टि चिकित्सीय साक्षी के साक्ष्य से पूर्णतया होती है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क इस सम्बन्ध में बलहीन प्रतीत होता है।

४९– बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क उठाया गया है कि चिकित्सक साक्षी पी०डब्लू०३ द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में मृतकों की मृत्यु का अनुमानित समय १० –०५–२०१२ को दोपहर १२–१ बजे होना सम्भव बताया है। जबकि साक्षीगण पी०डब्लू०१ व २ द्वारा अपने–अपने साक्ष्य में घटना शाम के लगभग छह बजे घटित होना कहा गया है। जिससे मृतकों की मृत्यु का समय व अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है और अभियुक्तगण के विरूद्व मामला साबित नहीं होता है।

५०– उपरोक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। चिकित्सक साक्षी पी०डब्लू०३ द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में मृतकों के चोटें दिनांक १०–

०५–२०१२ को शाम छह बजे आना सम्भव बताया गया है जबकि प्रतिपरीक्षा में चिकित्सक द्वारा मृतकों की मृत्यु का अनुमानित समय १०–०५–२०१२ को दोपहर १२–१ बजे होना सम्भव बताया है। चिकित्सक साक्षी के साक्ष्य में आये उक्त विरोधाभास से सम्पूर्ण अभियोजन कथानक सन्देहास्पद नहीं माना जा सकता क्योंकि अभियोजन साक्षीगण पी०डब्लू०१ व २ के साक्ष्य में घटना घटित होने का समय लगभग छह बजे शाम बताया गया है और बचाव पक्ष द्वारा इन साक्षीगण से की गयी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई गंभीर विरोधाभास प्रकट नहीं हुआ है, जिससे इन साक्षीगण की विश्वसनीयता संदिग्ध होती हो। वैसे विधि का स्थापित सिद्घान्त है कि यदि चिकित्सीय साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य में विभेद हो तो सदैव मौखिक साक्ष्य को अधिमानता प्रदान की जानी चाहिए। अतः यह न्यायालय बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाये गये उपरोक्त तर्क में कोई बल नहीं पाता है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि मृतक ओमकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक धातु का टुकड़ा रिकवर होना बताया गया है जिसके संबंध में बैलेस्टिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि विवादित लैड धातु का टुकड़ा रायफल स्लग का भाग प्रतीत होता है। जिससे घटना में रायफल ३१५बोर के आग्नेयास्त्र का घटना में प्रयुक्त किया जाना स्पष्ट है , परन्तु अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण के कब्जे से १२बोर के आग्नेयास्त्र बरामद होना दर्शित किये गये है, जिससे अभियोजन कथानक सन्देहास्पद हो जाता है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क के प्रकाश में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में पांच अभियुक्तगण जिनमें से एक अभियुक्त की दौरान विचारण मृत्यु हो गयी है, द्वारा आग्नेयास्त्रों से फायरिंग करके घटना कारित करना उल्लिखित किया गया है, जिनमें से तीन अभियुक्तगण से घटना में प्रयुक्त आग्नेयास्त्र की बरामदगी अभियोजन द्वारा दर्शित की गयी है, शेष दो अभियुक्तगण हरपन उर्फ हरस्वरूप व नेकसू उर्फ अनिल कुमार के कब्जे से घटना में प्रयुक्त किये गये आग्नेयास्त्र बरामद नहीं हुए हैं, ऐसे में उक्त अभियुक्तगण द्वारा घटना में प्रयुक्त आग्नेयास्त्र १२बोर अथवा ३१५बोर किस प्रकृति के रहे हैं, के बारे में कोई अवधारणा नहीं की जा सकती है। यह न्यायालय बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क में कोई बल नहीं पाता है।

५१– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा उक्त घटना कारित नहीं की गयी है, उनको रंजिशन

झूठा फंसाया गया है। वादी पक्ष की ओर से अभियुक्त पक्ष के सुनील कुमार आदि को लाठियों से मारा पीटा गया है और जान से मारने की नीयत से फायर किये गये हैं जिससे अभियुक्त पक्ष के हरफन, योगेश आत्मरक्षा हेतु अपनी छत पर चढ़ गये तथा वादी पक्ष द्वारा की गयी फायरिंग में आपस की ही दो गोलियां ओमकार व राजवीर के लगने से उनकी मृत्यु हो गयी थी। इस संबंध में अभियुक्तगण की ओर से घटना के संबंध में न्यायालय में योजित परिवाद पत्र व आदेश पत्र आदि की नकलें दाखिल की गयी हैं। अभियोजन की ओर से घटनास्थल पर उपस्थित बताये गये अन्य साक्षीगण को परीक्षित नहीं कराया गया है। साक्षीगण के साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है। अभियुक्तगण के विरूद्व मामला सन्देह से परे साबित नहीं है।

५२– अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा ही उक्त घटना कारित की गयी है और घटना के चक्षुदर्शी साक्षी पी०डब्लू०१ वादी मोहरपाल व पी०डब्लू०२ वीरपाल के द्वारा न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द शर्मा, नेकसू उर्फ अनिल कुमार की स्पष्ट पहचान की गयी है तथा साक्षी पी०डब्लू०१ वादी मोहरपाल व पी०डब्लू०२ वीरपाल के साक्ष्य से अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है। किसी गवाह के पेश न होने का कोई प्रभाव शेष साक्षियों के साक्ष्य व अभियोजन कथानक पर नहीं पड़ता है।

५३– अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द शर्मा, नेकसू उर्फ अनिल कुमार व रूपचन्द (दौरान विचारण मृत्यु) द्वारा दिनांक १०–०५–२०१२ को समय करीब छह बजे शाम स्थान वहद ग्राम नगरिया हरदास, अंतर्गत थाना क्षेत्र जिला बदायूं में सामान्य उद्वेश्य के अग्रसरण में एक राय होकर घातक हथियारों से सुसज्जित होकर विधि विरूद्व जमाव कर जान से मारने की नीयत से आग्नेयास्त्रों से फायर कर चोटें पहुंचाकर ओमकार व राजवीर की मृत्यु कारित कर हत्या की गयी तथा अभियुक्तगण द्वारा मौके पर बंधे चेतराम के बैल को गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर निरूपयोगी बनाकर रिष्टि कारित की गयी तथा वादी मोरपाल के भतीजे कमलेश को स्वेच्छया मारपीट कर साधारण चोटें पहुंचायी तथा वादी व उसके परिवारीजन को गंदी गंदी गालियां देकर अपमानित किया गया।

५४– पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया। साक्षी पी०डब्लू०१ वादी मोहरपाल, जो कि घटना का चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है, ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि मैं मुल्जिम रूपचन्द्र, सुनील कुमार हरपाल उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द्र व नेकसू को जानता हूँ। यह सब आपस में

बाप बेटे व रिश्तेदार हैं। आज से करीब एक साल दो माह पहले की बात है, मेरा छोटा भाई कमलेश मुल्जिम रूपचन्द्र शर्मा के मंदिर के पास खड़े आम के पेड़ों से कुछ अमियाँ तोड़ ली थी तभी रूपचन्द्र ने अमिया तोड़ते पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट करते हुए उलाहना देने को मेरे घर पर रूपचन्द्र आये और मेरे सामने गंदी–गंदी गालियाँ देते हुए मेरे बाबा चुन्नीलाल से कहने लगे कि तुम अपने नाती को समझा लो कि वह मेरे पेड़ों से अमिया न तोड़े नहीं तो हम कमलेश को छोड़कर तुम्हें मारेंगे। तभी मैंने व मेरे बाबा ने रूपचन्द्र को गाली देने को मना किया तभी रूपचन्द्र अपने मंदिर पर चले गए। यह बात दिन के १२–१ बजे की है। उसी दिन शाम को छः बजे रूपचन्द्र, सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश व नेकसू अपने–अपने हाथों में लाठी–डंडे लेकर चेतराम के घर के पास तक आये और गाली देने लगे। मेरे पिता ओमकार ने गाली देने को मना किया तभी हरस्वरूप ने मेरे पिता ओमकार के सिर पर लाठी मारी तथा सुनील व नेकसू ने मेरे भाई राजवीर को लाठी–डंडों से मारना शुरू कर दिया, जिससे उनके सिर व शरीर पर चोटें आयीं। हम लोगों के दबाव देने पर यह लोग भाग कर अपनी छत पर चढ़ गए । रूपचन्द्र ने लाइसेंसी बंदूक इकनाली से सुनील, हरस्वरूप, योगेश व नेकसू ने नाजायज तमंचों व बंदूक से हम लोगों पर जान से मारने के इरादे से फायर करना शुरू कर दिया, जिससे मेरा पिता ओमकार व भाई राजीव की फायर की चोटें लगने से मौके पर घायल हो गए और गिर गए। मुल्जिमान के द्वारा किए गए फायरों से मुन्नालाल के खण्डहर के पास चेतराम का बंधा बैल घायल हो गया तथा दीवारों पर फायरों के छर्रों के निशान हो गए व ईंट टूट गयी। इस घटना को मैंने, सुखपाल, नेत्रपाल, चुन्नी लाल व धीरपाल ने अच्छी तरह देखा था। तभी मैं अपने घायल पिता व भाई को तांगा गाड़ी से थाना अलापुर लाये तभी थाने वालों इनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मजरूबी चिट्ठी देकर जिला अस्पताल बदायूँ इलाज को भेज दिया। जहाँ डॉक्टरों ने देखकर दोनों को मृत घोषित कर दिया और एक कमरे में दोनों शवों को रखवा दिया। दरोगाजी ने घटना के तीसरे दिन मेरा बयान लिया और मेरी निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया।

५५– अभियुक्तगण की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पेज–५ पर कहा है कि मैंने तहरीर में यह बात लिखायी थी '' तभी रूपचन्द अपने मन्दिर पर चले गये यह बात दिन के बारह–एक बजे की है'' अगर उपरोक्त तहरीर प्रदर्श क–१ में नहीं लिखी है तो वजह नहीं बता सकता। उपरोक्त बात दरोगा को अपने बयान में बता दी अगर विवेचक ने बात नहीं लिखी तो वजह नहीं बता सकता। मैंने यह बात ''उसी दिन शाम को छह बजे रूपचन्द, सुनील, हरपन उर्फ

हरस्वरूप, योगेश व नेकसू अपने–अपने हाथों में लाठी डन्डे लेकर चेतराम के घर के पास तक आये और गाली देने लगे'' अपनी तहरीर प्रदर्श क–१ में लिखा दी थी। अगर तहरीर में उपरोक्त वात नहीं लिखी है तो वजह नहीं बता सकता। घटनास्थल के निकट जो खण्डहर पड़ा है वह मुन्नालाल का है। प्रतिपरीक्षा में पेज–६ पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि चुटैलों को थाने के गेट पर पुलिसवालों को दिखाया थाना के अन्दर नहीं ले गये। उस समय थाना पर सारा घटनाक्रम बता दिया। एक पुलिस वाला थाना अलापुर से साथ आया। हम चुटैलों के साथ अलापुर तक तांगे से आये। अलापुर से मारूति वैन किराये पर की उसी में थाना का सिपाही बदायूं अस्पताल हमें लेकर आया। मैंने डाक्टर को बुलाकर दिखाया था। अस्पताल के डाक्टर ने देखते ही बता दिया कि यह खत्म हो गयें। इस मुकदमें की घटना से पूर्व मुल्जिमान से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी। आपस में भाई बन्धु मानते थे। पेज–७ पर साक्षी ने कथन किया है कि मैंने दोनों मिले मकान दरोगाजी को दिखाये तथा वह मकान भी दिखाया जिसमें घटना के समय रहते थे। यह भी बता दिया कि खण्डहर व रहने का मकान मिले हुए हैं। अगर उपरोक्त बात मेरे बयानों में नहीं लिखी है तो वजह नहीं बता सकता और हमारी रिहायश का मकान दरोगा ने नक्शा नजरी में नहीं दर्शाया है तो वजह नहीं बता सकता। आगे साक्षी ने कहा है कि लाश सील होते समय मैं व सुखपाल मौजूद थे हमने दरोगाजी को बता दिया कि हम चश्मदीद गवाह हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के पेज–८ पर कथन किया है कि मेरे रिहायश के मकान से चेतराम का मकान छोटी गंगा (उत्तर दिशा) की ओर है। चेतराम मुन्नालाल के खण्डहर में ही रहते हैं। मैंने दरोगा को यह बतादिया कि चेतराम का अपना मकन नहीं है मुन्नालाल के खण्डहर में रहते थे। अगर दरोगा ने मेरे बयान में नहीं लिखा है तो वजह नहीं बअता सकता। यह कहना गलत है कि मुन्नालाल के खण्डहर से निकास का रास्ता उत्तर की ओर हो और मैं घटनास्थल पर न होउं इसीलिए उसे पूरब की ओर होना बताया हो। मैंने दरोगा को बयानों में यह बताया कि घटना के समय मैं चुटैलों से किस दिशा कितनी दूर कहां खड़ा था तथा किस स्थना से घटना देखी। नक्शा बनाते समय भी उपरोक्त बातें बतायी। अगर दरोगा ने बयानों में मेरी मौजूदगी स्थान व चुटैलों से दिशा व दूरी नहीं लिखी है तो वजह नहीं बता सकता। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के पेज–११ पर यह कथन किया है कि मैंने अपने बयान में दरोगा को यह बताया था कि ८–१० फायर हुए हैं। अगर बयान में नहीं लिखा है तो वह वजह नहीं बता सकता। नक्शा नजरी दरोगा ने मेरी निशानदेही पर बनाया था। यह सही है कि मैंने आनन्द पुत्र सरवन शर्मा के खण्डहर के सामने पड़ी खाली जगह में दोनों पक्षों का झगड़ा होने की जगह चिन्हित की

थी और दरोगा को नक्शा बनाते समय बतायी थी। झगड़ा होने के तुरन्त बाद छतों से फायरिंग हुयी। चेतराम के घर के सामने एक कमरे की बुनिया भरी है यह बुनियाद चार–पांच रद्दे की है। जिस जगह पर दोनों पक्षों में कहासुनी व झगड़ा हो रहा था वह जगह ऊंची है। टीला जैसा बना है बाकी मैदान पड़ा है। नींव से यह टीला लगभग एक फिट ऊंचा है। इसका ढलान दोनों ओर है। रूपचन्द के मकान की ओर भी ढलान है। टीले से कच्ची दीवार मकान को तीन–चार कदम की दूरी पर है। रूपचन्द के घर के पूरब लडौरी बनी है। टीले से चेतराम के दरवाजे की दूरी दो कदम होगी। चेतराम के दरवाजे के सामने बुनियाद भरी है जो १५–२०फिट पूरब पश्चिम व दस कदम उत्तर दक्षिण लम्बाई में भरी है इस नींव भरे स्थान से उत्तर की ओर वह स्थान है जहां दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। उक्त साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा के पेज–१३ पर यह कथन किया गया है कि झगड़े के समय टीले पर गांव के दस–बारह लोग और इकट्ठे हो गये थे उनके नाम बयान में दरोगा के बताये थे अगर बयान में नहीं लिखे हैं तो वजह नहीं बता सकता। मैं अपने तांगे से चुटैलों को गांव से थाना ले गया था। घोड़ा मेरा अपना है। तांगे में भी खून गिरा था। मेरे कपड़ो पर भी खून लगा था। बैल का मेडीकल नहीं कराया था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के पेज–१४ पर कथन किया है कि बैल का मालिक चेतराम है जब गोली चली तब राजवीर व ओमकार उसी टीले पर थे जहां झगड़ा हुआ वहीं गोली लगते गिर गये। मैं भी झगड़े वाले टीले पर उनसे पीछे थे। राजवीर ओमकार मुझसे दो–तीन कदम आगे उत्तर की ओर थे। जहां से टीला है वहां से रूपचन्द के मकान के बीच कोई कच्चा मकान कच्चे दीवार व छप्पर नहीं है अगर दरोगा ने नक्शा में दर्शाये हैं तो गलत दर्शाये हैं। यह कहना गलत है कि कानूनी मशविरे से आज झूठी गवाही दे रहा हूं। झगड़े वाले टीले से चेतराम के मकान की दूरी २५–३०कदम दूरी होगी। झगड़ा वाले टीले जहां राजवीर व ओमकार के गोली लगी उस स्थान से रूपचन्द का मकान ३०–३५कदम दूर होगा। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के पेज–१५ पर कथन किया है कि जिस समय गोली चली उस समय टीले पर चुटैलों और गवाहान के अलावा गांव के चार–छह लोग थे, परन्तु हमारे व गांव वालों के चोट नहीं लगी। यह कहना गलत है कि मेरे सामने घटना नहीं हुयी। यह कहना गलत है कि मृतक पक्ष द्वारा नाजायज मजमा बनाकर गांव के एक मात्र पंडित परिवार पर चढ़ाई की गयी हो और नाजायज तमंचों से स्वयं की गयी फायरिंग से राजवीर व ओमकार के चोटें आयी हों और बचाव में मुकदमा पंडितों पर लिखा दिया हो।

५६– अभियुक्तगण की ओर से इस साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने घटना कारित करने वालों में अभियुक्तगण सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश

चन्द शर्मा व नेकसू उर्फ अनिल कुमार का नाम स्पष्ट रूप से बताया है। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में कोई ऐसा तथ्य उभर कर नहीं आया जिससे अभियुक्तगण सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द शर्मा व नेकसू उर्फ अनिल कुमार की घटना कारित किये जाने में संलिप्तता नासाबित होती हो और अभियोजन कथानक संदिग्ध होता हो।

५७– साक्षी पी०डब्लू०२ वीरपाल, जिसे भी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है, ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि मैं मुल्जिमान हाजिर अदालत रूपचन्द्र, सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द्र व नेकसू को जानता हूँ। सब आपस में बाप, बेटे व भाई हैं। अब से करीब २ साल डेढ़ महीने पहले की बात है। मैं खेत पर काम करने गया था। शाम के समय मैं घर आया तो मैंने सुना कि मेरा छोटा भाई कमलेश करीब दो बजे दिन रूपचन्द्र के पेड़ से आम तोड़ लिए थे, जिसकी रूपचन्द्र ने मेरे दादा चुन्नी लाल से शिकायत की और गाली–गलौंज किया। खेत से आने के बाद उसी दिन करीब शाम के छह बजे रूपचन्द्र, सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द्र व नेकसू अपने–अपने हाथों में लाठी–डंडा लेकर आये और मेरे पिता ओमकार व राजवीर को लाठी–डंडों से चेतराम के घर के सामने मारपीट करने लगे। हम लोगों के आगे बढ़ने पर मुल्जिमान अपने घर चले गए और अपनी फन्डरिया पर चढ़कर रूपचन्द्र ने अपनी लाइसेंसी बन्दूक व सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप व योगेश चन्द्र व नेकसू अपने हाथों में नाजायज तमंचा बंदूक लिए थे, ने अपने–अपने हथियारों से मेरे पिता ओमकार व भाई राजवीर के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर करना शुरू कर दिये। मुल्जिमान के किए हुए फायरों की चोटें मेरे पिता ओमकार व भाई राजवीर के लगे, जिससे वह घायल होकर मौके पर गिर पड़े। इसके बाद भी मुल्जिमान फायर करते रहे। इसमें से एक फायर चेतराम के बैल के लगा, जिससे बैल घायल हो गया तथा एक फायर मेरी दीवार में लगा, जिसके लगने से दीवार का अध्धा निकल गया। यह घटना मैंने व मेरे भाई मोरपाल व गाँव के सुखपाल, मेरे बाबा चुन्नीलाल तथा नेत्रपाल व अन्य लोगों ने देखी थी। हम लोगों ने पिता भाई को देखा तो वह सांस ले रहे थे। घायल पिता व भाई को तांगे में डालकर थाने अलापुर लाये। जहाँ पुलिस वालों चुटैलों को चिट्ठी देकर अस्पताल बदायूँ भेजा। अलापुर से एक वैन गाड़ी किराये पर लेकर उस पर पिता व भाई को लेकर अस्पताल लाये। जिला अस्पताल में डॉ० साहब ने मेरे पिता व भाई को देखकर मृतक घोषित कर दिया। मुल्जिमान से हमारी व हमारे परिवार की कोई रंजिश नहीं थी।

५८– अभियुक्तगण की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के

पेज–६ पर कहा है कि मुझे जानकारी है कि विमला देवी पत्नी रूपचन्द ने एक मुकदमा मेरे विरूद्व किया है यह मुकदमा फर्जी किया है। उक्त साक्षी ने आगे पेज –७ पर कथन किया है कि दरोगाजी ने घटना के ११दिन बाद बयान लिया था। मैंने दरोगा को अपने बयान में बताया कि जिस पेड़ से मेरे भाई कमलेश ने आम तोड़ा वह सरकारी पेड़ था। उसको रूपचन्द ने रखा लिया था। वह पेड़ दरोगा को दिखाया नहीं, बताया था। अगर दरोगा ने मेरे बयान में सरकारी पेड़ से आम तोड़ने वाली बात या मेरे द्वारा कौन सा सरकारी पेड़ है बताने वाली बात नहीं लिखी है तो वजह नहीं बता सकता। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के पेज–८ पर कथन किया है कि मैं दोपहर को घर पर नहीं था। इसलिए नहीं बता सकता कि दादा चुन्नीलाल से दोपहर में झगड़ा हुआ या नहीं। मुझे नहीं पता कि कमलेश से कोई मारपीट हुयी थी या नहीं। जब मोहरपाल थाना गया तब मैं तांगा पर मौजूद था। तांगा थाना से ५–१०कदम दूर था। मेरे साथ चार–पांच और लोग तांगा के साथ गये। पुलिस वालों ने थाना से आकर चुटैलों की चोटें देखी और उनके कागज बनाकर हमें दिये। मैंने व मोहरपाल ने एक वैन थाना से बाहर खड़ी छह सौ रूपये में करी थी। उससे बदायूं अस्पताल आये थे वैन में मैं, मोहरपाल व मेरी मां लौंगश्री व चुटैल बदायूं अस्पताल आये थे। डाक्टर ने आकर चैक करके बताया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के पेज–९ पर कथन किया है कि इस मुकदमें की घटना में मेरे व मोहरपाल के कोई चोट नहीं आयी। मैंने दरोगा को बता दिया कि फायरिंग के समय मैं मरने वालों से किस दिशा व कितनी दूरी पर था। दरोगा को यह भी बता दिया कि मोहरपाल मेरे पास मेरे ही पीछे थे। अगर दरोगा ने मेरे बयान में घटना के समय मरने वालों से मेरी दिशा व दूरी तथा मोहरपाल का मेरे पास मेरे पीछे नहीं लिखा है तो उसकी वजह नहीं बता सकता। उक्त साक्षी ने पेज–१० पर कथन किया है कि घटना से पहले रूपचन्द या किसी अभियुक्त ने मुझसे या मेरे परिवार वालों से झगड़ा नहीं किया। वहां से जिस स्थान पर मेरे भाई के गोली लगी कोई टीला नहीं है थोड़ा ऊंचा है। करीब एक वालिस्त ऊंचा है। उसके बाद पीछे का स्थान जहां बैल बंधा था वह एक वालिस्त नीचा है। ऊंचे स्थान से बैल बंधने की दूरी दो–तीन कदम होगी। मेरे पिता के गोली ऊंचे स्थान से आगे की ओर लगी और भाई के गोली ऊंचे स्थान से पीछे की ओर जिधर बैल बंधा है वहां पर लगी थी। भाई और पिता का आठ–दस कदम का फासला होगा। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में पेज–१२ पर कथन किया है कि मेरे भाई राजवीर घटना के समय चेतराम के घर के सामने थे। मेरे पिता ओमकार घटना के समय बुनियाद से छोटी गंगा की तरफ बुनियाद से आधा कदम दूर थे। वहां से रूपचन्द का दरवाजा २५–३०कदम

दूर होगा। ओमकार व राजवीर एक ही जगह पर लाठी डन्डों से पिट रहे थे। जिस जगह पर मारपीट हो रही थी उससे वह चबूतरा बड़ी गंगा की ओर चार–पांच कदम दूरी पर है। जहां पर चार बजे तक बैठे रहे थे। जहां पर मारपीट हुयी उस समय कोई फायर नहीं हुआ था। मेरे भाई व पिता घटना से एक–दो मिनट पहले चबूतरे से उठकर गये थे। आगे कहा कि पहले गोली की चोट खाकर राजवीर गिरा फिर ओमकार गिरे उसके बाद बैल गिरा था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में पेज–१४ पर कथन किया है कि शाम को चार बजे खेत से लौटा। लौटकर कुट्टी वगैरहा काटी। छह बजे करीब चौपाल पर बैठे फिर कहा कि साढ़े पांच बजे चौपाल पर बैठे थे। मेरे और भाई भी आ गये तब हमार बब्बा ने बताया तब कहासुनी की बात पता चली। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में पेज–१५ पर कथन किया है कि जब गोली चली तब मैं राजवीर से दस कदम पीछे और ओमकार से बीस कदम पीछे था। बैल मुझसे दस कदम पीछे था। मोरपाल मेरे बराबर था। स्वयं कहा कि मोरपाल एक कदम पीछे था। मेरे व मोरपाल के घर में कोई चोट नहीं आयी। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के पेज–१६ पर कथन किया है कि जब बाबा ने घटना के बारे में बताया तब हमारे पास कोई हथियार डन्डा नहीं था। रोजाना चबूतरा पर बैठना रहता है। यह कहना गलत है कि हम लोग चबूतरे पर इकट्ठे हुये और वावा से बात होने के बाद क्रोध में आकर नाजायज हथियार लेकर रूपचन्द के घर चढ़े हो। यह कहना गलत है कि घर के बाहर विमला देवी व सुनील मिले हो और मारपीट किया। यह कहना भी गलत है कि रूपचन्द के घर पर अन्धाधुन्ध फायरिंग की हो जिससे मेरे पिता व भाई के चोटें आयी हों और राय मशविरे से गांव के इकलौते ब्राहमण परिवार को झूठा नामजद कर दिया हो।

५९– इस साक्षी ने भी अपने साक्ष्य में अभियुक्तगण सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द शर्मा, नेकसू उर्फ अनिल कुमार का नाम घटना कारित करने में स्पष्ट रूप से लिया है व अभियुक्तगण की न्यायालय में स्पष्ट पहचान की गयी है। इस साक्षी पी०डब्लू०२ वीरपाल के साक्ष्य से साक्षी पी०डब्लू०१ वादी मोहरपाल के साक्ष्य की पुष्टि होती है। इन साक्षीगण की प्रतिपरीक्षा में कोई ऐसा तथ्य उभर कर नहीं आया है, जिससे घटना के घटित होने के संबंध में इन साक्षीगण द्वारा प्रस्तुत की साक्ष्य अविश्वसनीय प्रतीत हो।

६०– न्यायिक विधि व्यवस्था **हिमांशू उर्फ चिन्टू बनाम स्टेट एन०सी०टी० आफ देहली ।२०११। २ एस०सी०सी० ३६** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह भूसे में से गेहूं को अलग करे।

६१– इस प्रकार साक्षी पी०डब्लू०१ वादी मोहरपाल व पी०डब्लू०२ वीरपाल

द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में स्पष्ट रूप से घटना कारित करने में अभियुक्तगण सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द शर्मा व नेकसू उर्फ अनिल कुमार का नाम बताया गया है व इनकी न्यायालय में स्पष्ट पहचान की गयी है। साक्षीगण के साक्ष्य में ऐसा कोई भी प्रतिकूल कथन प्राप्त नहीं हुआ है जिससे अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने का तथ्य सन्देहास्पद हो। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक १०–०५–२०१२ को शाम के समय वादी पक्ष की ओर से अभियुक्त पक्ष के सुनील कुमार आदि को लाठियों से मारा पीटा गया है और जान से मारने की नीयत से फायर किये गये हैं जिससे अभियुक्त पक्ष के हरफन, योगेश आत्मरक्षा हेतु अपनी छत पर चढ़ गये तथा वादी पक्ष द्वारा की गयी फायरिंग में आपस की ही दो गोलियां ओमकार व राजवीर के लगने से उनकी मृत्यु हो गयी थी। इस संबंध में अभियुक्तगण की ओर से बचाव साक्ष्य में घटना के संबंध में न्यायालय में योजित परिवाद पत्र व आदेश पत्र आदि की नकलें दाखिल की गयी हैं। यद्यपि बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा में इस संबंध में पूछे गये प्रश्न को साक्षी पी०डब्लू०१ व पी०डब्लू०२ द्वारा नकार दिया गया है और घटना के समय अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की नीयत से आग्नेयास्त्रों से गोली मारकर ओमकार व राजवीर सिंह की हत्या किये जाने का तथ्य कहा गया है। बचाव पक्ष की ओर से अपने उक्त तर्क के समर्थन में बचाव साक्ष्य के स्तर पर मौखिक साक्ष्य में किसी साक्षी को भी परीक्षित नहीं कराया गया है, न ही बचाव पक्ष द्वारा अपने तर्क में उनके कथनानुसार कथित घटना के समय को विशिष्ट रूप से इंगित किया गया है और मात्र शाम को घटना होने का तर्क दिया है। बचाव पक्ष की ओर से अपने कथनों के बाबत न्यायालय में परिवाद योजित होने मात्र से प्रस्तुत मामले के अभियोजन कथानक को सन्देहास्पद नहीं माना जा सकता है। अतः यह न्यायालय बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उठाये गये उपरोक्त तर्क में कोई बल नहीं पाता है।

६२– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की ओर से मामले के संबंध में वादी के साथ घटनास्थल पर मौजूद बताये गये अन्य गवाहान सुखपाल, नेत्रपाल आदि को परीक्षित नहीं कराया गया है। जिससे भी अभियोजन कथानक संदिग्ध होता है।

६३– पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से वादी पी०डब्लू०१ मोहरपाल व उसके भाई पी०डब्लू०२ वीरपाल के साथ घटनास्थल पर मौजूद गवाहान में से किसी गवाह को साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है परन्तु मात्र इस आधार पर अन्य साक्ष्य को नकार दिया जाना न्यायोचित नहीं होगा। यह

अभियोजन का अधिकार है कि वह किस साक्षी को पेश करता है और किस साक्षी को पेश नहीं करता है। बचाव पक्ष यदि इसका लाभ लेना चाहता था तो घटनास्थल पर वादी के साथ गये ऐसे गांव के गवाहान को अपने प्रतिरक्षा साक्ष्य में पेश कर सकता था किन्तु उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। **रोहताश कुमार बनाम हरियाणा राज्य २०१३ सीआर०एल०जे० ३१८३ एस०सी०** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि अभियोजन सभी साक्षियों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में वादी के साथ घटनास्थल पर उपस्थित बताये गये अन्य गवाहान को प्रस्तुत न किये जाने का कोई नकारात्मक प्रभाव अभियोजन कथानक पर नहीं पड़ता है और इससे अभियोजन कथानक अविश्वसनीय नहीं होता है।

६४– जहां तक बचाव पक्ष की तरफ से घटना के घटित होने के तरीके व घटनास्थल के संबंध में साक्षीगण के बयान में एकरूपता न होने व बयानों में विरोधाभास होने आदि उठाये गये तर्कों का संबंध है, तो न्यायालय इस तर्क में कोई बल नहीं पाता है, क्योंकि जब गवाहान न्यायालय में विद्वान अधिवक्ता के प्रश्नों का सामना करते हैं तो ऐसे में उनके बयानों में थोड़े बहुत अल्प विरोधाभास आना स्वाभाविक हैं। **रमेश हरिजन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ।२०१२। ५ एस०सी०सी० ७७७ एवं सी० मुनियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य २०१०।६। एस०सी०जे० ८२२** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि यदि गवाहों के बयानों में थोड़ा बहुत विरोधाभास है तो उससे सम्पूर्ण अभियोजन कथानक तिरस्कृत नहीं किया जायेगा। यह स्वाभाविक है कि अलग–अलग व्यक्तियों द्वारा अलग–अलग तरीके से घटना को देखा व समझा जाता है और जहां पर साक्षीगण के परिजन को अभियुक्तगण द्वारा की जारी फायरिंग में गोली लगी हो तो उन परिस्थितियों में साक्षीगण के साक्ष्य में थोड़े बहुत विरोधाभास आना स्वाभाविक है, क्योंकि उस समय उन साक्षियों की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं रह सकती कि घटना के काफी दिनों बाद भी घटना को बिल्कुल सटीक तरीके से न्यायालय में बता सकें। ऐसे में साक्षीगण के साक्ष्य में आये थोड़े बहुत विरोधाभासों के आधार पर पूरी की पूरी घटना को नकारा नहीं जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में साक्षीगण पी०डब्लू०१ व २ ग्रामीण परिवेश के हैं तथा साक्षी पी०डब्लू०१ व पी०डब्लू०२ का साक्ष्य वर्ष २०१४ में लगभग दो वर्ष बाद पूर्ण हुआ है तथा इन साक्षीगण के साक्ष्य में जो विरोधाभास बचाव पक्ष की तरफ से इंगित किये गये हैं वह इस प्रकृति के नहीं है जिससे सम्पूर्ण अभियोजन कथानक संदिग्ध होता हो।

६५– अभियुक्तगण की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में विधि व्यवस्था

पातिराम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2003(1) क्राइम्स 422 बॉम्बे हाईकोर्ट (D.B.) प्रस्तुत की गयी है। उक्त विधि व्यवस्था के मामले में विवेचक द्वारा दौरान विचारण चक्षुदर्शी साक्षीगण पी०डब्लू०१ व पी०डब्लू०२ के बयान अंतर्गत धारा १६१ दं०प्र०सं० १५दिन तक भी अंकित नहीं किये गये थे जबकि साक्षीगण उपलब्ध थे और इस बिलंव के संबंध में विवेचक द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया और साक्षीगण द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर धारा १६४ दं०प्र०सं० का बयान अंकित कराया गया है। इन परिस्थितियों में विवेचक द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के बयान १६१ दं०प्र०सं० में किये गये उक्त बिलंव आदि को दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा धारा ३०२ भा०दं०सं० के अंतर्गत अभियुक्त के दोषसिद्व के आदेश को अपास्त किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में यद्यपि विवेचक द्वारा मामले के अभियुक्तगण सुनील कुमार आदि को घटना के अगले दिन दिनांक ११–०५–२०१२ को गिरफ्तार किया गया है और तब तक विवेचक द्वारा किसी चक्षुदर्शी साक्षी का साक्ष्य अंकित नहीं किया गया है और चक्षुदर्शी साक्षी पी०डब्लू०१ वादी व चक्षुदर्शी मोहरपाल का बयान १६१ दं०प्र०सं० दिनांक १२–०५–२०१२ को एवं पी०डब्लू०२ चक्षुदर्शी साक्षी वीरपाल का बयान दिनांक २१–०५–२०१२ को विवेचक द्वारा अंकित किया गया है। इस संबंध में मामले के प्रारम्भिक विवेचक उपनिरीक्षक दिनेश चन्द्र यादव सेवानिवृत्त द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में पेज –७ पर यह कथन किया है कि अभियुक्त रूपचन्द व सुनील की गिरफ्तारी तक मामले के किसी चश्मदीद साक्षी का बयान अंकित नहीं किया था। यह सही है कि मैंने केस डायरी में यह अंकित किया है कि पीएसी तथा अतिरिक्त बल मंगाया जावे क्योंकि जातीय संघर्ष की आशंका थी क्योंकि गांव में एक ही ब्राहमण परिवार था जो अभियुक्त बनाया गया था। पीड़िता पक्ष राजपूत थे जिनका पूरे क्षेत्र में बाहुल्य है। इसके अतिरिक्त विवेचक साक्षी पी०डब्लू०७ चरन सिंह यादव रिटायर्ड निरीक्षक द्वारा अपने बयान की प्रतिपरीक्षा में पेज–८ पर साक्ष्य दिया है कि यह सही है कि सीडी–७ दिनांक १७–०५–२०१२ को किता करने जिसमें अभियुक्त अनिल उर्फ नेकसू को गिरफ्तार किया था किसी चश्मदीद साक्षी का कथन १६१ दं०प्र०सं० अंकित नहीं किया गया। पेज–११ पर कथन किया है कि यह सही है कि पूर्व विवेचक द्वारा घटना की गम्भीरता को देखते हुए अतिरिक्त फोर्स पीएसी मंगाया गया था और केस डायरी में अंकित किया है। उच्चाधिकारियों को मोबाइल से सूचित किया गया कि गांव में ब्राह्मण अभियुक्त है तथा पीड़िता पक्ष राजपूत है। ब्राह्मण केवल अभियुक्त परिवार है गांव में रह रहा है। बाकी पूरा गांव लोधी राजपूत बाहुल्य है जातीय संघर्ष से इंकार नहीं

किया जा सकता। अतः प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक साक्षी द्वारा साक्षीगण के बयान अभियुक्तगण की गिरफ्तारी से पूर्व अंकित न किये जाने व साक्षी पी०डब्लू०२ वीरपाल का बयान घटना के लगभग दस दिन बाद अंकित करने के संबंध में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है कि गांव में जातीय संघर्ष की आशंका थी, पीएसी व अतिरिक्त बल मंगाया गया था व पीड़िता पक्ष का पूरे क्षेत्र में बाहुल्य था। अतः प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य, उपरोक्त विधि व्यवस्था के मामले के तथ्यों से भिन्न होने के कारण अभियुक्तगण उक्त विधि व्यवस्था का लाभ प्रस्तुत मामले में पाने के अधिकारी नहीं है।

६६– अभियुक्तगण की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में विधि व्यवस्था **2011(72) ACC 699 (सुप्रीम कोर्ट) सुनील कुमार शम्भुदयाल गुप्ता बनाम महाराष्ट्र राज्य** प्रस्तुत की गयी है। उक्त विधि व्यवस्था के मामले में अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में घटना में लगाये गये आरोपों के बाबत आये गम्भीर विरोधाभास व सुधारों आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण की दोषसिद्व के आदेश को खारिज किया गया है व विचारण न्यायालय के दोषमुक्ति के आदेश को बहाल रखा गया है। प्रस्तुत प्रकरण में घटना के चक्षुदर्शी साक्षीगण पी०डब्लू०१ व २ द्वारा अपने–अपने साक्ष्य में घटना के तथ्यों के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य दिया गया है और उपरोक्त विवेचना में उक्त साक्षीगण के साक्ष्य में घटना के तथ्यों के बाबत ऐसे गम्भीर विरोधाभास व सुधार करके बयान दिया जाना आदि प्रकट नहीं हुआ है, जिनके आधार पर उक्त साक्षीगण के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक संदेहास्पद होता हो। अतः प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य, उपरोक्त विधि व्यवस्था के मामले के तथ्यों से भिन्न होने के कारण अभियुक्तगण उक्त विधि व्यवस्था का लाभ प्रस्तुत मामले में पाने के अधिकारी नहीं है।

६७– अभियुक्तगण की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में विधि व्यवस्था **झिल्लर एवं अन्य बनाम स्टेट (इलाहाबाद हाईकोर्ट) क्रिमिनल अपील नम्बर 2354/1979** प्रस्तुत की गयी है। उक्त विधि व्यवस्था के मामले में अभियोजन साक्ष्य से घटना के समय चक्षुदर्शी साक्षीगण की घटनास्थल पर उपस्थिति के संबंध में उत्पन्न हुए सन्देहों आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त /अपीलार्थी झिल्लर की दोषसिद्व के आदेश को खारिज किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से घटना के चक्षुदर्शी साक्षीगण पी०डब्लू०१ व २ की घटनास्थल पर उपस्थिति के संबंध में कोई सन्देह उत्पन्न नहीं हुआ है और उनकी उपस्थिति घटनास्थल पर स्वाभाविक पायी गयी है। बचाव पक्ष की ओर से भी साक्षीगण की अन्यत्र

उपस्थिति के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। न ही साक्षीगण की जिरह में ऐसा कोई तथ्य प्रकट हुआ है जिससे साक्षीगण की घटनास्थल पर उपस्थिति संदिग्ध होती हो। अतः प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य, उपरोक्त विधि व्यवस्था के मामले के तथ्यों से भिन्न होने के कारण अभियुक्तगण उक्त विधि व्यवस्था का लाभ प्रस्तुत मामले में पाने के अधिकारी नहीं है।

६८– अभियुक्तगण की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में विधि व्यवस्था **2015(4) क्राइम्स 222 (SC) गोलवार हुसैन एवं अन्य बनाम असम राज्य एवं अन्य** प्रस्तुत की गयी है। उक्त विधि व्यवस्था के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि जब घटना के संबंध में दो राय आती हैं तो ऐसी दशा में मुल्जिम के पक्ष में एक को अपनाया जाना चाहिए। उक्त मामले में विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने के पश्चात आरोपी को सन्देह का लाभ देते हुए तर्कपूर्ण आदेश द्वारा दोषमुक्त किया गया है, विचारण न्यायालय के उक्त दोषमुक्ति के आदेश को माननीय न्यायालय द्वारा न्यायोचित पाया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में साक्षीगण पी०डब्लू०१ व २ मृतकों के सगे संबंधी है और घटना के बाबत कोई स्वतन्त्र साक्षी परीक्षित नहीं हुआ है, परन्तु उक्त साक्षीगण घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हैं और उपरोक्त विवेचना में उनका साक्ष्य विश्वसनीय पाया गया है और स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर घटना में फायरिंग करके मृतकों की हत्या करने का तथ्य साबित हुआ है। इसके विपरीत ऐसी अन्य कोई संभावना नहीं है जिसमें मृतकों की हत्या अन्य प्रकार से होना साबित होती हो। उक्त चक्षुदर्शी साक्षीगण के साक्ष्य में ऐसी कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पायी गयी है जिसके आधार पर उनके साक्ष्य पर भरोसा न किया जा सके। अतः प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य, उपरोक्त विधि व्यवस्था के मामले के तथ्यों से भिन्न होने के कारण अभियुक्तगण उक्त विधि व्यवस्था का लाभ प्रस्तुत मामले में पाने के अधिकारी नहीं है।

६९– अभियुक्तगण की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में विधि व्यवस्था **स्टेट ऑफ यू०पी० बनाम बाबूराम एवं अन्य (इलाहाबाद हाईकोर्ट)** प्रस्तुत की गयी है। उक्त विधि व्यवस्था के मामले में अभियोजन द्वारा घटना का जो हेतुक बताया गया था वह झूठा पाया गया व अभियोजन साक्षीगण अत्यधिक इच्छुक गवाह पाये गये और उनके साक्ष्य को न्यायालय ने सही रूप से खारिज किया तथा विवेचक द्वारा घटनास्थल पर कोई रक्त नहीं पाया गया और घटना का समय भी साबित नहीं पाया गया। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के आलोच्य आदेश को सही पाते हुए पुष्ट किया

गया। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा आम के पेड़ से अमिया तोड़ने को लेकर वादी के भाई से अभियुक्त पक्ष द्वारा हुए विवाद का हेतुक साबित किया गया है और अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी०डब्लू०१ व २ घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हैं और अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने एवं घटना के घटित होने के समय आदि तथ्यों के बाबत उनके द्वारा दिया गया साक्ष्य विश्वसनीय पाया गया है तथा घटनास्थल पर दोनों मृतकों के शव के पास से विवेचक द्वारा दौरान विवेचना मिट्टी सादा व खूनआलूदा एकत्रित कर उनकी फर्दें तैयार की गयी है और विवेचक साक्षी पी०डब्लू०६ उपनिरीक्षक दिनेश चन्द्र यादव द्वारा फर्द को प्रदर्श क–२३ व प्रदर्श क–२४ के रूप में साबित किया गया है। अतः प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य, उपरोक्त विधि व्यवस्था के मामले के तथ्यों से भिन्न होने के कारण अभियुक्तगण उक्त विधि व्यवस्था का लाभ प्रस्तुत मामले में पाने के अधिकारी नहीं है।

७०– अभियुक्तगण की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में विधि व्यवस्था **विजय सिंह बनाम स्टेट ऑफ एम०पी० 2005 CRI. L. J.299** प्रस्तुत की गयी है। उक्त विधि व्यवस्था के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि दौरान विवेचना घटनास्थल तैयार किया जाना औपचारिकता मात्र नहीं है, बल्कि न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक साक्ष्य है कि अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था या नहीं। उक्त मामले में अभियुक्त द्वारा किस स्थान से गोली चलायी गयी और मृतक किस स्थान पर खड़ा था, यह तथ्य स्पष्ट न होने पाने और इस संबंध में घटनास्थल के नक्शा नजरी में गम्भीर कमी पाये जाने व अभियुक्तगण से बरामद आयुध को जब्ती के दस दिन बाद बिलम्व से फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजे जाने व इस बिलम्व का कोई स्पष्टीकरण न देने आदि को दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को इन कमियों का लाभ दिया जाना सही माना गया। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा घटनास्थल के नक्शा नजरी प्रदर्श क–२७ में अभियुक्तगण के गोली चलाये जाने वाले स्थान को व मृतकों के खड़े होने के स्थान को दर्शित किया गया है तथा विवेचक पी०डब्लू०६ उपनिरीक्षक दिनेश चन्द्र यादव द्वारा घटनास्थल के नक्शा नजरी को साबित किया गया है और घटना के चक्षुदर्शी साक्षी पी०डब्लू०१ व २ के साक्ष्य से भी घटनास्थल के नक्शा नजरी की पुष्टि होती है। उपरोक्त विवेचना में घटनास्थल के नक्शानजरी में कोई गम्भीर कमी या अनियमितता नहीं पायी गयी है। अतः प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य, उपरोक्त विधि व्यवस्था के मामले के तथ्यों से भिन्न होने के कारण अभियुक्तगण उक्त विधि व्यवस्था का लाभ प्रस्तुत मामले में पाने के अधिकारी

नहीं है।

७१– अभियुक्तगण की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में विधि व्यवस्था **जुम्मा बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० (इलाहाबाद हाईकोर्ट)** प्रस्तुत की गयी है। उक्त विधि व्यवस्था के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि–Indian Penal Code 1860, Sections 302 and 34– Conviction of one–Rest acquitted –Exact nature of injuries caused by each accused not proved– No presumption could be raised that one caused all injuries– Failure to prove common intention –Prosecution to establish the nature of injuries caused by each accused– Conviction under section 302 not sustainable. प्रस्तुत प्रकरण में घटना के चक्षुदर्शी साक्षीगण पी०डब्लू०१ व २ द्वारा अपने–अपने साक्ष्य में घटना में सभी अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अगसरण में एक राय होकर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करना और मृतकों की मृत्यु आग्नेयास्त्रों से आयी चोटों के कारण होना साबित किया गया है। अभियेाजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं चिकित्सीय साक्ष्य से मृतकों को आयी चोटों की प्रकृति साबित की गयी है। अतः प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य, उपरोक्त विधि व्यवस्था के मामले के तथ्यों से भिन्न होने के कारण अभियुक्तगण उक्त विधि व्यवस्था का लाभ प्रस्तुत मामले में पाने के अधिकारी नहीं है।

७२– प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द्र शर्मा व नेकसू उर्फ अनिल कुमार के विरूद्ध मामला संदेह से परे साबित है। प्रस्तुत प्रकरण में सहअभियुक्त रूपचन्द्र की दौरान विचारण मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्व मामले की कार्यवाही उपशमित की गयी है और मामले में चार अभियुक्तगण का ही विचारण किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रस्तुत घटना कारित करने में सभी अभियुक्तगण का आशय समान माना जायेगा क्योंकि घटनास्थल पर और घटना करने में सभी अभियुक्त एक साथ मौजूद थे। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण **सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द्र शर्मा व नेकसू उर्फ अनिल कुमार** के विरूद्ध धारा १४७, १४८, ३०२ सपठित धारा १४९ भा०दं०सं० का आरोप संदेह से परे साबित करने में अभियोजन पूर्ण रूप से सफल रहा है।

७३– जहां तक अभियुक्तगण पर धारा ५०४, ३२३ सपठित धारा १४९ व ४२९ सपठित धारा १४९ भा०दं०सं० के अधीन लगाये गये आरोप का प्रश्न है, अभियोजन अपने द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से इस अपराध के आरोप को साबित नहीं कर

सका है क्योंकि अभियोजन की ओर से पेश किये गये साक्षीगण ने अपने–अपने साक्ष्य में गालियों में अभियुक्तगण द्वारा प्रयुक्त किये गये शब्दों को विशिष्ट रूप से नहीं बताया है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरण में साक्षीगण पी०डब्लू०१ व पी०डब्लू०२ द्वारा अपने–अपने साक्ष्य में घटना में अभियुक्तगण द्वारा की गयी फायरिंग में चेतराम के बैल के भी गोली लगने से घायल होने का एवं वादी के छोटे भाई कमलेश से मारपीट करने का तथ्य कहा गया है, परन्तु अभियोजन की ओर से कथित बैल की कोई इंजरी आख्या पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गयी है, न ही उक्त कमलेश को अभियोजन की ओर से परीक्षित कराया गया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द्र शर्मा व नेकसू उर्फ अनिल कुमार के विरूद्व धारा ४२९ सपठित धारा १४९, ३२३ सपठित धारा १४९ व ५०४ भा०दं०सं० के अंतर्गत कारित अपराध के आरोप को अभियोजन साबित करने में असफल रहा है।

७४– **अभियुक्तगण सुनील कुमार व योगेश चन्द्र के विरूद्व धारा ३/२५ आयुध अधिनियम के अंतर्गत कारित अपराध का भी आरोप है।**

७५– बचाव पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण के कब्जे से कोई तमंचा–कारतूस बरामद नहीं हुआ है। अभियुक्तगण से अलग–अलग तिथि पर फर्जी बरामदगी दिखायी गयी है। कथित बरामदगी का कोई जनसाक्षी नहीं है। अभियोजन की ओर से फर्द बरामदगी का मात्र एक गवाह परीक्षित कराया गया है। उसके समर्थन हेतु अन्य किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियुक्तगण से बरामद बताये गये आग्नेयास्त्र चलने योग्य थे अथवा नहीं, उसके संबंध में रिकवरी आफीसर द्वारा कोई टेस्ट फायर नहीं किया गया है। अभियुक्त योगेश से कथित आग्नेयास्त्र खुली जगह से बरामद होना अभियोजन साक्ष्य में आया है जिससे बरामदगी संदिग्ध है। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्व धारा ३/२५ आयुध अधिनियम का अपराध साबित नहीं होता है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा बचाव पक्ष के उक्त तर्कों का विरोध किया गया है।

७६– अभियुक्त सुनील कुमार से आग्नेयास्त्र की बरामदगी के संबंध में अभियोजन की ओर से फर्द बरामदगी के गवाह के रूप में साक्षी सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक दिनेश चन्द्र यादव कोबतौर पी०डब्लू०६ के रूप में परीक्षित कराया गया है।

७७– साक्षी पी०डब्लू०६ उपनिरीक्षक दिनेश चन्द्र यादव (सेवानिवृत्त) ने अपने सशपथ साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए फर्द बरामदगी को प्रदर्श क–२८ के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य की

प्रतिपरीक्षा में पेज–१३ पर कथन किया है कि जब सुनील और रूपचंद को गिरफ्तार किया तो पब्लिक का कोई गवाह नहीं लिया क्योंकि रात का समय था। बरामद बन्दूक व तमंचे से कोई टेस्ट फायर नहीं किया था।

७८– फर्द बरामदगी प्रदर्श क–२८ में यह उल्लिखित है कि जनता के गवाह तलाश करने की कोशिश की गयी तो कोई भी भलाई बुराई के कारण तैयार नहीं हुआ बिना नाम पता बताये चले गये। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–२८ के अवलोकन से तथा इस साक्षी पी०डब्लू०६ के साक्ष्य के अवलोकन से यही स्पष्ट हो रहा है कि पुलिस पार्टी द्वारा कथित बरामदगी की घटना का कोई जनसाक्षी लिये जाने का सार्थक प्रयास नहीं किया गया है, न ही उन गवाहों के जिनसे गवाही के लिए कहा गया, उनके नाम का ही कोई उल्लेख किया है और फर्द बरादमगी में रटा रटाया कथन अंकित किया गया है कि जनता के गवाह तलाश करने की कोशिश की गयी तो कोई भी भलाई बुराई के कारण तैयार नहीं हुआ बिना नाम पता बताये चले गये। अभियोजन की ओर से कथित बरामदगी की घटना को किसी जनता के साक्षी के साक्ष्य के माध्यम से साबित नहीं कराया गया है। जिससे अभियुक्त सुनील कुमार से कथित बरामदगी का अभियोजन कथानक सन्देहास्पद हो जाता है।

७९– इस साक्षी के साक्ष्य के समर्थन हेतु अभियोजन की ओर से फर्द बरामदगी के किसी अन्य गवाह को परीक्षित नहीं कराया गया है। साक्षी पी०डब्लू०८ कां० ओमकार चिक लेखक है और औपचारिक प्रकृति का साक्षी है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में इस मामले की चिक एफ०आई०आर० व जी०डी० कायमी मुकदमा को कां० अमर सिंह के लेख व हस्ताक्षर में होने और उनकी मृत्यु हो जाने तथा उसके साथ तैनात रहने के कारण उसके लेख व हस्ताक्षर को पहचानने का कथन करते हुए चिक एफ०आई०आर० को प्रदर्श क–३४ के रूप में व जी०डी० कायमी मुकदमा को प्रदर्श क–३५ के रूप में साबित किया है।

८०– इसके अलावा अभियोजन की ओर से अपराध संख्या २९५/१२, धारा ३/२५ आयुध अधिनियम बनाम सुनील कुमार के उक्त अपराध के विवेचक उपनिरीक्षक राजेश यादव को पी०डब्लू०४ के रूप में परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में मामले की विवेचना करने व विवेचना उपरान्त अभियुक्त सुनील कुमार व रूपचन्द (दौरान विचारण मृत) के विरूद्व आरोप पत्र प्रेषित किया जाना कहा है तथा नक्शा नजरी घटनास्थल को प्रदर्श क–१४ व कार्बन प्रति को प्रदर्श क–१५ के रूप में, अभियोजन अनुमति रूपचन्द (दौरान विचारण मृत) को प्रदर्श क–१६

के रूप में, अभियोजन अनुमति सुनील कुमार को प्रदर्श क–१७ के रूप में व आरोप पत्र विरूद्व रूपचन्द (दौरान विचारण मृत) को प्रदर्श क–१८ के रूप में व आरोप पत्र विरूद्व सुनील कुमार को प्रदर्श क–१९ के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में पेज–५ पर साक्ष्य दिया है कि मुकदमा अपराध संख्या २९५/१२ बनाम सुनील कुमार के वादी दिनेश चन्द मेरे साथी थे और थाना अलापुर पर ही मेरे साथ तैनात थे। इस मुकदमें में बरामदगी का कोई जनता का आजाद गवाह नहीं मिला। मैंने विवेचना के दौरान निरीक्षण घटनास्थल के लिए थाने से अपनी रवानगी की जी०डी० आदि का कोई उल्लेख केस डायरी में नहीं किया है और न ही रवानगी की जी०डी० को विवेचना का भाग बनाया है। यह सही है कि इस मुकदमें की बरामदगी से संबंधित पुलिस टीम की थाने से रवानगी की जी०डी० भी मुझे प्राप्त नहीं हुई इसलिए विवेचना का भाग नहीं बनाया गया। यह सही है कि इस मुकदमें की विवेचना में मैंने किसी आरमेरर की रिपोर्ट को विवेचना का भाग नहीं बनाया था। मैंने दौरान विवेचना शस्त्र का निरीक्षण या अवलोकन नहीं किया और न ही फर्द में दिए हुलिए से मिलान किया।

८१– अभियोजन की ओर से अभियुक्त सुनील कुमार से बरामदशुदा कथित एक तमंचा देशी १२बोर आदि को फर्द बरामदगी के किसी गवाह के साक्ष्य के माध्यम से साबित नहीं कराया गया है, बल्कि अपराध संख्या ३१९/१२, धारा ३/२५ आयुध अधिनियम बनाम योगेश चन्द्र की फर्द बरामदगी के वादी निरीक्षक चरन सिंह यादव (रिटायर्ड) पी०डब्लू०७ के साक्ष्य से वस्तु प्रदर्श–३ के रूप में एवं दो जीवित कारतूस १२बोर व एक खोखा कारतूस १२बोर को वस्तु प्रदर्श के रूप में साबित कराया गया है। उक्त साक्षी पी०डब्लू०७ द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में पेज –७ पर कथन किया है कि रूपचन्द व सुनील से बरामद क्रमशः एसबीबीएल गन तथा तमंचा मेरी मौजूदगी में बरामद नहीं हुए थे। मैं इनकी बरामदगी का विवेचक भी नहीं था। मैंने आज से पहले उन तमंचा व एसबीबीएल गन को नहीं देखा था। स्वयं कहा कि खुली हालत में नहीं देखा था। चूंकि आज एक ही बण्डल में दो तमंचे व एक बन्दूक निकली है इसलिए मैंने उन्हें अभियुक्त रूपचन्द व सुनील से बरामद होना बताया था।

८२– इस प्रकार अभियोजन की ओर से अभियुक्त सुनील कुमार से कथित रूप से बरामद बताये गये एक तमंचा देशी १२बोर, दो जीवित कारतूस १२बोर व एक खोखा कारतूस १२बोर को फर्द बरामदगी प्रदर्श क–२८ के किसी साक्षी के साक्ष्य के माध्यम से साबित न कराये जाने से अभियुक्त सुनील कुमारसे कथित बरामदशुदा माल विधिवत साबित नहीं हो सका है। न ही कथित बरादमगी को जनता के किसी साक्षी के साक्ष्य से

साबित कराया गया है। अभियोजन की यह सारी खामियां अभियोजन कथानक को सन्देहास्पद बना देती है।

८३– **जहां तक अभियुक्त योगेश चन्द के विरूद्ध धारा ३/२५ आयुध अधिनियम के अंतर्गत लगाये गये आरोप का संबंध है,** तो इस संबंध में अभियोजन की ओर से फर्द बरामदगी के गवाह के रूप में साक्षी निरीक्षक चरन सिंह यादव (रिटायर्ड) को बतौर पी०डब्लू०७ के रूप में परीक्षित कराया गया है।

८४– साक्षी पी०डब्लू०७ निरीक्षक चरन सिंह यादव (रिटायर्ड) ने अपने सशपथ साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए फर्द बरामदगी को प्रदर्श क–२५ के रूप में तथा न्यायालय में प्रस्तुत बरामदशुदा शस्त्र तमंचा को वस्तु प्रदर्श–१ के रूप में व खोखा कारतूसों व जीवित कारतूसों को वस्तु प्रदर्श–४ लगायत २६ के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य की प्रतिपरीक्षा में पेज–६ पर कथन किया है कि योगेश की निशानदेही पर जो तमंचा बरामद हुआ था वह ओपन फील्ड में झाड़ियों से बरामद हुआ था। चारों तरफ कोई बाउण्ड्री नहीं थी। किसी भी व्यक्ति को उस स्थान पर पहुंचने में कोई अवरोध नहीं था। तमंचा किसी गड्ढे में नहीं पड़ा था। मैंने या पुलिस पार्टी ने उस तमंचे से कोई टेस्ट फायर करके नहीं देखा। बोर नापने का कोई उपकरण पुलिस पार्टी पर नहीं था। यह सही है कि फर्द बरामदगी प्रदर्श क–२५ में खोखे पर फैक्ट्री का नाम रंग या अन्य कोई पहचान चिन्ह अंकित पाया हो, इन्द्राज नहीं है। आज बण्डल से निकले खोखा कारतूसों में से वो खोखा कारतूस जो योगेश से बरामद तमंचे की नाल में फंसा था कौन सा है मैं नहीं बता सकता। इस साक्षी के उपरोक्त साक्ष्य से कि योगेश की निशानदेही पर जो तमंचा बरामद हुआ था वह ओपन फील्ड में झाड़ियों से बरामद हुआ था। चारों तरफ कोई बाउण्ड्री नहीं थी। किसी भी व्यक्ति को उस स्थान पर पहुंचने में कोई अवरोध नहीं था, अभियुक्त योगेश से कथित तमंचा की बरामदगी सन्देहास्पद हो जाती है। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्त योगेश से बरामद हुए खोखा कारतूस की पहचान भी साबित नहीं हो सकी है।

८५– इस साक्षी पी०डब्लू०७ के साक्ष्य के समर्थन हेतु अभियोजन की ओर से फर्द बरामदगी के किसी अन्य गवाह को परीक्षित नहीं कराया गया है। साक्षी पी०डब्लू०८ कां० ओमकार चिक लेखक है और औपचारिक प्रकृति का साक्षी है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में इस मामले की चिक एफ०आई०आर० व जी०डी० कायमी मुकदमा को क्रमशः प्रदर्श क–३२ व प्रदर्श क–३३ के रूप में साबित किया है।

८६– इसके अलावा अभियोजन की ओर से अपराध संख्या ३१९/१२, धारा

३/२५ आयुध अधिनियम बनाम योगेश चन्द्र के उक्त अपराध के विवेचक उपनिरीक्षक दिनेश चन्द्र यादव(सेवानिवृत्त) को पी०डब्लू०६ के रूप में परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में मामले की विवेचना करने व विवेचना उपरान्त अभियुक्त योगेश चन्द्र के विरूद्व आरोप पत्र प्रेषित किया जाना कहा है तथा नक्शा नजरी घटनास्थल को प्रदर्श क–२९ के रूप में, अभियोजन अनुमति को प्रदर्श क–३० के रूप में व आरोप पत्र को प्रदर्श क –३१ के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में पेज–५ पर साक्ष्य दिया है कि यह सही है कि सरकार बनाम योगेश अ०सं० ३१९/२०१२ धारा २५ आयुध अधिनियम के वादी थानाध्यक्ष चरन सिंह मेरे वरिष्ठ अधिकारी थे। योगेश से बरामदगी का स्थल झाड़ी के पास ओपन प्लेस था। इस बरामदगी का भी जनता का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं था। मैंने बरामदगीस्थल के आसपास के किसी के बयान नहीं लिये।

८७– इस प्रकार विवेचक साक्षी पी०डब्लू०६ के साक्ष्य से भी यह स्पष्ट है कि योगेश से बरामदगी का स्थल झाड़ी के पास ओपन प्लेस था तथा इस बरामदगी का जनता का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं था। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–२५ में व फर्द बरामदगी के साक्षी पी०डब्लू०७ निरीक्षक चरन सिंह यादव (रिटायर्ड) के साक्ष्य में अभियुक्त योगेश चन्द से कथित बरामदगी के संबंध में जनता का कोई गवाह लिये जाने का प्रयास किये जाने के संबंध में कोई तथ्य नहीं कहा गया है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से कथित बरामदगी की घटना को किसी जनता के साक्षी के साक्ष्य के माध्यम से साबित नहीं कराया गया है। जिससे भी अभियुक्त योगेश चन्द्र से कथित बरामदगी सन्देहास्पद हो जाती है।

८८– पत्रावली पर अभियुक्तगण सुनील कुमार व योगेश चन्द्र से कथित बरामदाशुदा आग्नेयास्त्र–कारतूस के बाबत विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या १०६क/१, २ उपलब्ध है। चूंकि पत्रावली पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य से अभियुक्तगण सुनील कुमार व योगेश चन्द्र से कथित बरामदगी का तथ्य युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं होता है ऐसे में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या के आधार पर बरामदगी के संबंध में कोई निष्कर्ष निकाला जाना न्यायोचित नहीं होगा।

८९– उपरोक्त समस्त विवेचन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अभियुक्तगण सुनील कुमार व योगेश चन्द्र के विरूद्व लगाये गये धारा ३/२५ आयुध अधिनियम के अपराध के आरोप को युक्तियुक्त सन्देह के परे साबित करने में विफल रहा है परिणामस्वरूप अभियुक्तगण सन्देह का लाभ पाने के अधिकारी हैं और

उक्त अपराध के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

९०– उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक १०–०५–२०१२ को समय करीब छह बजे शाम स्थान वहद ग्राम नगरिया हरदास, अंतर्गत थाना क्षेत्र अलापुर जिला बदायूं में सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में एक राय होकर घातक हथियारों से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव कर जान से मारने की नीयत से आग्नेयास्त्रों से फायर कर चोटें पहुंचाकर व लाठी–डन्डों से मारपीट कर ओमकार व राजवीर की मृत्यु कारित कर हत्या की गयी। अभियोजन अपने मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य से अभियुक्तगण सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द शर्मा, नेकसू उर्फ अनिल कुमार के विरूद्ध लगाये गये धारा १४७, १४८, ३०२ सपठित धारा १४९ भा०दं०सं० के आरोप को साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अभियुक्तगण **सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द शर्मा, नेकसू उर्फ अनिल कुमार** धारा १४७, १४८, ३०२ सपठित धारा १४९ भा०दं०सं० के अंतर्गत दोषसिद्ध होने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण **सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द शर्मा, नेकसू उर्फ अनिल कुमार** को धारा १४७, १४८, ३०२ सपठित धारा १४९ भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कारित अपराध के लिये दोषसिद्ध पाया जाता है तथा अभियुक्तगण **सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द शर्मा, नेकसू उर्फ अनिल कुमार** को धारा ५०४, ४२९ सपठित धारा १४९ व ३२३ सपठित धारा १४९ भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप से एवं अभियुक्तगण **सुनील कुमार व योगेश चन्द शर्मा** को धारा ३/२५ आयुध अधिनियम के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके जमानतनामें एवं बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है , उनको अबिलंब न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। अभियुक्तगण को दोषसिद्ध अपराध अंतर्गत धारा १४७, १४८, ३०२ सपठित धारा १४९ भा०दं०सं० में सजा के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक २१–०१–२०२५ को पेश हो।

दिनांक–२०–०१–२०२५

(मनोज कुमार–तृतीय)
सत्र न्यायाधीश,
बदायूँ।
JOCode–UP01909

<u>२१.०१.२०२५</u>

प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु प्रस्तुत हुयी। राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। अभियुक्तगण **सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द शर्मा, नेकसू उर्फ अनिल कुमार** न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित हैं।

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा कथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में एक राय होकर घातक हथियारों से सुसज्जित होकर विधि विरूद्व जमाव कर जान से मारने की नीयत से आग्नेयास्त्रों से फायर कर चोटें पहुंचाकर व लाठी –डन्डों से मारपीट कर ओमकार व राजवीर की मृत्यु कारित कर हत्या की गयी। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है व अभियुक्तगण के द्वारा किया गया कृत्य घृणित एवं सामाजिक व्यवस्थाओं के विपरीत है। उक्त परिस्थिति में अभियुक्तगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

इसके विपरीत अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है , न ही अभियुक्तगण को किसी अपराध में पूर्व में दोषसिद्व किया गया है। अभियुक्तगण गरीब मजदूर व्यक्ति हैं, छोटे–छोटे बच्चे हैं। उनके परिवार वाले उन पर आश्रित हैं। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए उनको कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

सजा के प्रश्न पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अभियुक्तगण सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द शर्मा, नेकसू उर्फ अनिल कुमार द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में एक राय होकर घातक हथियारों से सुसज्जित होकर विधि विरूद्व जमाव कर जान से मारने की नीयत से आग्नेयास्त्रों से फायर कर व लाठी–डन्डों से मारपीट कर वादी मुकदमा के पिता ओमकार व भाई राजवीर की मृत्यु कारित कर हत्या की गयी।

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये मैं दोषसिद्व अभियुक्तगण **सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द शर्मा, नेकसू**

उर्फ अनिल कुमार को भा०दं०सं० की धारा १४७ के अपराध के अंतर्गत दो–दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं अंकन दो–दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से तथा भा०दं०सं० की धारा १४८ के अपराध के अंतर्गत तीन–तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं अंकन तीन–तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड से तथा भा०दं०सं० की धारा ३०२ सपठित धारा १४९ के अपराध के अंतर्गत प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा एवं अंकन पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करना न्यायोचित समझता हूँ।

आदेश

सत्र परीक्षण संख्या ७७६/२०१२ के प्रकरण में दोषसिद्व अभियुक्तगण सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द शर्मा, नेकसू उर्फ अनिल कुमार प्रत्येक को भा०दं०सं० की धारा १४७ के अपराध के अंतर्गत दो–दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं अंकन दो–दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में दोषसिद्व अभियुक्तगण को पन्द्रह–पन्द्रह दिन के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जाता है।

सत्र परीक्षण संख्या ७७६/२०१२ के प्रकरण में दोषसिद्व अभियुक्तगण सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द शर्मा, नेकसू उर्फ अनिल कुमार प्रत्येक को भा०दं०सं० की धारा १४८ के अपराध के अंतर्गत तीन–तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं अंकन तीन–तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में दोषसिद्व अभियुक्तगण को एक–एक माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जाता है।

सत्र परीक्षण संख्या ७७६/२०१२ के प्रकरण में दोषसिद्व अभियुक्तगण सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप, योगेश चन्द शर्मा, नेकसू उर्फ अनिल कुमार प्रत्येक को भा०दं०सं० की धारा ३०२ सपठित धारा १४९ के अपराध के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा एवं अंकन पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में दोषसिद्व अभियुक्तगण को छह–छह माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जाता है।

समस्त सजायें साथ–साथ चलेंगी। सिद्बदोष अभियुक्तगण द्वारा इस मामले में जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जावेगी।

अभियुक्तगण का सजायावी वारंट बनाकर उन्हें जिला कारागार बदायूं

भेजा जाये।

मामले से संबंधित बरामदशुदा माल मुकदमा व अन्य वस्तु प्रदर्श, अपील न होने की दशा में बाद म्याद अपील अवधि तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

इस निर्णय की एक प्रति सत्र वाद संख्या ७७७ /२०१२ राज्य प्रति सुनील कुमार एवं सत्र वाद संख्या ९२५/२०१२ राज्य प्रति योगेश चन्द की पत्रावली पर रखी जावे।

इस निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक अभियुक्तगण को निःशुल्क अविलम्ब प्रदान की जाये।

दिनांक २१–०१–२०२५

(मनोज कुमार – तृतीय)
सत्र न्यायाधीश,
बदायूं।
JOCode–UP01909

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक २१–०१–२०२५

(मनोज कुमार – तृतीय)
सत्र न्यायाधीश,
बदायूं।
JOCode–UP01909